

Letter No. : 753 /81-7-2019-44(writ)/2016

From;

Bharat Prasad,
Under Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change, Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest &
Climate Change Section-7

Lucknow : Dated : 28/10/2019

Sub: Compliance Report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 27-09-2019 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.


Sir,

In compliance of order dated 27.09.2019 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the compliance report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours Sincerely,



(Bharat Prasad)
Under Secretary

Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 27-09-2019 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

1. That the captioned matter relates to reports dated 25.09.2019 and 26.09.2019 of Monitoring Committee headed by Hon'ble Justice (Retd.) Arun Tandon constituted vide order dated 6.8.2018 to monitor and oversee the implementation of the Judgment of Hon'ble Tribunal dated 13.7.2017 in O.A. No. 200/2014 M.C. Mehta Vs UOI and Ors.
2. That Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh has submitted the Compliance report of Order dated 29.05.2019 passed in OA No. 200/2014 in the matter of M.C. Mehta Vs Union of India & Ors on 04.08.2019.
3. That it is submitted that in order to ensure compliance of the order of Hon'ble NGT dated 07.08.2019 uploaded on 22.08.2019 passed in O.A. No. 200/2014 M.C. Mehta Vs UOI and Ors.,

meeting of Implementation Committee under Chairmanship of Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh constituted vide order dated 13.07.2017 passed in O.A. No. 200/2014 was held on 27.08.2019. It is further submitted that the Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change reviewed the status of compliances in the review meeting and has issued directions to concerned departments for compliance of the order of Hon'ble Tribunal. The quarterly progress report will be filed before Hon'ble Tribunal as directed by Hon'ble Tribunal. Copy of Minutes of Meeting of Implementation Committee dated 27.08.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1.**

4. That it is submitted that Monitoring Committee submitted report filed in O.A. No. 986/2019 relating to chromium dump and its adverse effect at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur. That the Committee also submitted emergent need for supplying potable water in the affected areas. The second report relates to water pollution by tanneries at Jajmau, Kanpur, discharge of untreated sewage in Ganga river during cleaning of Trunk Sewer and discharge of industrial effluent into irrigation canal without treatment at CETP.



5. That it is submitted that considering the report of Hon'ble Monitoring Committee dated 25 September, 2019 and 26 September, 2019 in the matter listed as OA 985/2019 with OA No 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh With In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh pleased to interalia pass following direction on 27.09.2019:

- i. *The Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.*
- ii. *The Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.*
- iii. *The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, U.P. Jal Nigam, State PCB for their illegal action in*



permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.

- iv. *A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in.*
- v. *The CPCB may furnish its report to this Tribunal with all relevant details before the next date.*

6. That it is submitted that in compliance to Hon'ble Tribunal order dated 27-09-2019, a meeting was convened by Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh on 04-10-2019 to seek updated status of compliances related to various directions of Hon'ble Tribunal passed vide orders in the captioned matter. The responsible officers of the concerned departments were directed to put up updated compliance reports. The minutes of meeting dated 04-10-2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2**.
7. That it is submitted that the undersigned has reviewed the status of compliances on 17-10-2019 with Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries and other officers of concerned departments for ensuring timely action according to the directions of Hon'ble Tribunal. The minutes of meeting dated 17-10-2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-3**.



8. That it is submitted that it was informed in the review meeting that the District Magistrate, Kanpur Dehat has directed Executive Officer, Nagar Panchayat, Akbarpur to supply drinking water through tankers regularly in the affected areas around Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat. It was also informed that the Executive Officer, Nagar Panchayat, Akbarpur has submitted action taken report regarding supply of drinking water dated 10.10.2019. A copy of report of Executive Officer, Nagar Panchayat, Akbarpur dated 10.10.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-4.**

It is further submitted that the undersigned has directed Principal Secretary, Rural Development, Government of Uttar Pradesh to ensure establishment of Piped Water Supply (PWS) for safe drinking water in the affected areas around Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat. In compliance to the direction of undersigned given in the review meeting, Uttar Pradesh Jal Nigam is preparing the DPR for PWS in the affected area. The undersigned also directed in the review meeting to District Magistrate, Kanpur Dehat and Principal Secretary, Panchayati Raj, Uttar Pradesh to seal immediately the identified hand pumps in the affected areas giving contaminated water. In compliance to the direction of the undersigned given in the review meeting the steps have been



initiated to make 20 Hand Pumps giving contaminated water non-functional.

9. That it is submitted that in compliance to the directions given by the undersigned in the review meeting dated 17.10.2019, Principal Secretary, Urban Development Government of Uttar Pradesh has informed that regarding supply of potable water in Rania and Rakhi Mandi, an order has been issued for supply of water through tanker in Rania and for Rakhi Mandi there is a pipe line of potable water. For Rakhi Mandi, which is in urban area, a pipe carrying potable water reaches their carrying the potable water from a tube well in adjacent area. To augment the potable water supply by providing portable water from surface source treated water in households of the area an estimate of Rs. 46.59 lac has been approved and funds released to the Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam vide order dated 22.10.2019. Principal Secretary, Urban Development has also informed that the works will be completed within two months.

10. That it is submitted that the undersigned has directed Principal Secretary, Medical and Health, Government of Uttar Pradesh to organize periodic Health Checkup Camps in the affected areas of Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur and



to provide necessary treatment to the affected persons. The Principal Secretary Medical and Health informed in the review meeting that Health Checkup Camps are being regularly organized and report will be submitted. In compliance to the direction of undersigned given in the review meeting dated 17.10.2019, the Director General, Medical and Health Services, Uttar Pradesh has submitted a report dated 24.10.2019, in which it is informed that Health Checkup Camps have been organized from 09.10.2019 to 11.10.2019 in Khanchandpur, Umran, Rahimpur, Shivrathpurwa and Gharampur villages in district Kanpur Dehat. Two Health Checkup Camps have also been organized in Rakhi Mandi, Kanpur Nagar as informed by Director General, Medical and Health Services vide his letter dated 25.10.2019. The reports of Director General, Medical and Health Services, Uttar Pradesh dated 24.10.2019 & 25.10.2019 are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-5A & 5B.**

11. That it is submitted that the undersigned has directed in the review meeting to Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development, Government of Uttar Pradesh and Managing Director, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) to release the funds of Rs 23.44 Crore for in-situ safe disposal of Chromium dumped at Khanchandpur, Rania, Kanpur



Dehat and start the work under technical guidance of Central Pollution Control Board, Delhi. In compliance to the direction of the undersigned given in the review meeting, UPSIDA has requested Member Secretary, Central Pollution Control Board vide letter dated 25.10.2019 to depute an officer/technical expert to provide the necessary technical guidance for in-situ safe disposal of Chromium dumped at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat. Copy of the letter of UPSIDA dated 25.10.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-6.**

It is further submitted that the undersigned has also directed Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development, MSME and Uttar Pradesh Pollution Control Board to take action against the responsible industries, which had dumped Chromium Waste at the above site under the "Polluter Pays Principle". In compliance to the direction of undersigned, the Uttar Pradesh Pollution Control Board has identified six industries, which are responsible for dumping of Chromium Waste in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat. These six industries are presently closed as well as dismantled and have not been operational since 2005. It is further submitted that the Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued notices against these six industries for imposition of Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore based on the guidelines issued by Central Pollution Control Board, Delhi on



24.10.2019. The copies of notices dated 24.10.2019 issued against above mentioned six industries are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-7**

12. That it is submitted that in order to stop the flow of industrial effluent to the extent of 10-12 MLD received in CETP, Jajmau in view of non availability of required sewage for dilution due to cleaning of trunk sewer line and non functioning of CETP and STP, Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued Closure Orders against the 122 operational tanneries attached with 36 MLD (9 MLD tannery effluent + 27 MLD sewage) CETP, Jajmau, Kanpur vide letter dated 01.10.2019 to prevent discharge of untreated industrial effluent into irrigation channel. The details of the closure orders are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-8.**

13. That it is submitted that regarding the issue of order of Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh allowed the Jal Nigam, Kanpur to discharge effluents into river Ganga, pending cleaning of Trunk Sewer and non-functioning of STP, Principal Secretary, Urban Development has submitted the detailed report dated 19.10.2019. The report of Principal Secretary, Urban Development explains in detail the inevitability of cleaning of more than hundred years old trunk sewer line, which is in critical



stage and requiring immediate repair and rehabilitation. The report also says that the Trunk Sewer line has no parallel alternate line for 2.1 Km connecting to main pumping station and there was no option but to allow flow of sewage into river Ganga. He also submitted that, this decision was taken in view of availability of adequate flow and quantity in river Ganga due to rainy season. The work was initially to be completed by 16.08.2019 but due to rainy season work could not be completed and the executive agency Uttar Pradesh Jal Nigam directed to complete work by 15.09.2019 vide letter of Principal Secretary, Urban Development dated 08.08.2019. The report further says that the bioremediation of the drain was also proposed during the maintenance of Truck Sewer line for diverted discharges but bio-remediation could not be taken up due to high volume, high velocity, high turbulence and very high dilution level conditions in the drains and consequent non-availability of necessary retention time during said period falling in monsoon season. Therefore the work of cleaning of Trunk Sewer was undertaken during the monsoon period and after taking the approval of competent authority in the Government in larger public and environmental interest for sincere compliance of directions of Hon'ble NGT. The above decision of the competent authority was duly conveyed by Principal Secretary, Urban Development to Uttar Pradesh Pollution Control Board. The report also justifies the



discharge of sewage in monsoon season into the river under inevitable circumstances on the basis of various reports.

The Principal Secretary, Urban Development has also informed in his report that 43 MLD STP at Jajmau, Kanpur was observed to be not meeting prescribed effluent parameters due to technical defects and the contractor has been blacklisted and his security deposit has been forfeited. The rectification work has already been awarded to other contractor, which is scheduled to be completed by March 2020. The undersigned has reviewed the report submitted by Principal Secretary, Urban Development and humbly submits before the Hon'ble Tribunal to consider the report and exonerate Principal Secretary, Urban Development, Uttar Pradesh Jal Nigam and Uttar Pradesh Pollution Control Board in light of the bonafide action aimed at control of pollution on a long term basis. The report submitted by Principal Secretary, Urban Development, Uttar Pradesh is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-9.**

14. That it is submitted that the undersigned has instructed Principal Secretary, Urban Development and Managing Direction, Uttar Pradesh Jal Nigam in the review meeting to immediately start bio-remediation, so that untreated sewage is not discharged directly into river Ganga. The undersigned has also directed that the



Common Effluent Treatment Plant at Jajmau and 43 MLD STP may be expeditiously made functional as per prescribed standards. In compliance to the directions of the undersigned given in the review meeting, the bio-remediation of untreated sewage flowing in to river Ganga in Kanpur through 14 drains has been started as informed by Chief Engineer (Ganga), Uttar Pradesh Jal Nigam vide letter dated 29.10.2019. Copy of the letter dated 29.10.2019 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-10.**

15. That it is further submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 28/10/2019



(Rajendra Kumar Tiwari)
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के अनुपालन के सम्बंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की दिनांक 27.08.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के अनुपालन के सम्बंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की दिनांक 27.08.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 में दिये गये निर्देशों का प्रस्तुतिकरण किया गया:-

1. रनियों कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन हेतु डी०पी०आर० केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी है तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में हैजार्डस वेस्ट डम्प के सुरक्षित निस्तारण हेतु राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराये जाने तथा 03 माह में क्रोमियम वेस्ट शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात का 03 माह में हेल्थ सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों का समयानुसार अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
2. गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मिलने वाली चिन्हित 86 ड्रेन्स की टैपिंग का कार्य जुलाई 2019 तक पूर्ण किया जाना था। मा० एन०जी०टी० द्वारा ऐसे एस०टी०पी० प्रोजेक्ट्स जिनके कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, को दिनांक 01.07.2019 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त समयसीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त ड्रेन्स के माध्यम से अशोधित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित किये जाने पर राज्य सरकार को 10 लाख प्रतिमाह पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं एस०टी०पी०/सीवेज नेटवर्क का निर्माण कार्य का पूर्ण न होने की दशा में 10 लाख प्रतिमाह पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
3. ऐसे सेक्टर्स जिनमें घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु एस०टी०पी० व सीवेज नेटवर्क का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है को दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त अवधि में घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु दिनांक 01.11.2019 से बायो रेमिडियेशन/अन्य शोधन व्यवस्था स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण न होने की दशा में 10 लाख प्रतिमाह पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किये जाने के निर्देश दिये

गये हैं तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भी अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाना निर्देशित है।

4. मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन फेज-2 (डाउनस्ट्रीम उन्नाव से बलिया तक) हेतु भी बाध्यकारी होगा।

3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के अनुपालन हेतु अवगत कराया गया कि उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 30.11.2019 तक त्रैमासिक प्रगति आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2019 के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सम्बंधित विभागों को आदेशों के अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिये गये -

1. मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 07.08.2019 के अनुसार खानचन्दपुर, रनियाँ कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये एवं shifting of the Chromium dumps within three months का समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)

2. खानचन्दपुर, रनियाँ कानपुर देहात क्षेत्र में हेल्थ कैम्प लगाये जाने एवं हेल्थ सर्वे कसकर रिपोर्ट 03 माह के अन्दर पर्यावरण विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। इस सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि हेल्थ कैम्प एवं सर्वे की कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 07.08.19 से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात)

3. गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले ड्रेन्स के रेमिडियेशन एवं एस0टी0पी0 के निर्माण/संचालन हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 07.08.19 को सेगमेंट-बी (हरिद्वार डाउनस्ट्रीम से उन्नाव तक) एवं फेज-2 (उन्नाव डाउनस्ट्रीम से बलिया तक) हेतु पारित आदेश के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा प्रोजेक्टवार समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर रिपोर्ट पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/सिंचाई विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0/उ0प्र0 जल निगम/कन्टोनमेंट बोर्ड/विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद्)

4. सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड प्लेन एरिया को अधिसूचित किये जाने हेतु केन्द्रीय जल आयोग से रिपोर्ट प्राप्त कर अधिसूचना जारी कराये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये तथा सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड प्लेन क्षेत्र

में चिन्हित अविवादित भूमि का वन विभाग के साथ फील्ड सर्वे कर बायोडायवर्सिटी पार्क हेतु भूमि को वन विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
(कार्यवाही- सिंचाई विभाग/राजस्व विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०)

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N 4 T 433/81-7-2019-49(पया)/2017
लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/राजस्व/गृह/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
3. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
6. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
7. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Annexure No.-2

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-04.10.2019 को पारिजात कक्ष, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आहूत अनुश्रवण बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित निम्न आदेशों के अनुपालन की स्थिति के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04.10.2019 को अपराह्न 04:00 बजे अनुश्रवण बैठक आहूत की गई -

- (1) ओ०ए० सं०- 231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019
- (2) ओ०ए० सं०- 06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 11.09.2019
- (3) ओ०ए० सं०- 606/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक- 12.09.2019
- (4) ओ०ए० सं०- 116/2014, सीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019
- (5) ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019

बैठक दिनांक 04.10.2019 में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

- 2- ओ०ए० सं०-231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019 द्वारा जारी निर्देशों का निवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण हिण्डन नदी एवं उसकी सहायक नदियों कृष्णा एवं काली नदी में प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा० अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों में हिण्डन एवं सहायक नदियों के कैचमेन्ट क्षेत्र में आने वाले गांवों में स्वच्छ पाइपड पेय जल आपूर्ति एवं हैण्डपम्प की जलगुणता की नियमित जांच कराया जाना, दूषित पेय जल आपूर्ति के हैण्डपम्प को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना, घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस०टी०पी० की स्थापना किया जाना तथा एस०टी०पी० की स्थापना होने तक फाइटो रेमिडियेशन, बायो रेमिडियेशन के माध्यम से घरेलू उत्पन्न शोधन की अन्तरिम व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित हैं। मा० अधिकरण के आदेश में निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों जिन्हें उपचार हेतु अन्यत्र उच्च चिकित्सा संस्थानों में सन्दर्भित किया गया है, के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाए। मा० अनुश्रवण समिति एवं मा० अधिकरण

के निर्देशों का अनुपालन यथासमय सुनिश्चित किये जाने हेतु मा० न्यायधिकरण के आदेश दिनांक 19.03.2019 द्वारा ₹० 5.00 करोड़ की परफार्मेंन्स गारण्टी जमा किये जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन अथवा उसे चुनौती दिये जाने का कार्य नगर विकास विभाग के स्तर पर अभी लम्बित है। मा० अधिकरण द्वारा परफार्मेंन्स गारण्टी जमा न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है। बैठक के दौरान मा० अधिकरण के आदेशों का बिन्दुवार विवरण सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया एवं उक्त की प्रति ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई।

उक्त ओ०ए० में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 21.10.2019 है तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। अनुपालन आख्या मा० अधिकरण में प्रस्तुत न किये जाने पर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को मा० अधिकरण में स्वयं प्रस्तुत होने हेतु मा० अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppecb.com" एवं "ceol@uppecb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग- ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जिलाधिकारी (सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर)

- 3- ओ०ए० सं०-06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण यमुना नदी के जल प्रदूषण से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० राज्य का गाजियाबाद क्षेत्र आच्छादित है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यमुना नदी में सीवेज निस्तारण नियंत्रित करने हेतु लघु एवं दीर्घ कालीन समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्र के सीवर क्षेत्र, अन्सीवर्ड क्षेत्र एवं सीवर नेटवर्क में लीकेज की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसे सीवेज उपचार संयंत्र जिनके द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही हो, का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा अन्तरिम शोधन व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन के माध्यम से शोधन विलम्बतम् दिनांक 01.01.2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। मा० अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन में उत्प्लावक की वास्तविक स्थिति का मापन कराया जाए। इन्दिरापुरम स्थित एस०टी०पी० के आउटफाल ड्रेन की क्षमता को बढ़ाये

जाने के निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। साहिबाबाद ड्रेन में घरेलू एवं औद्योगिक उत्स्रावण प्रवाहित होने के दृष्टिगत एस0टी0पी0 को तकनीकी रूप से उच्चिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कार्यरत एस0टी0पी0 की कमियों को 03 माह में निराकरण करने अन्यथा रू 5 लाख प्रति एस0टी0पी0 की दर से सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.07.2020 से ड्रेन में अशोधित सीवेज के निस्तारण के लिए रू 10 लाख प्रतिमाह सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने तथा निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने पर रू 10 लाख प्रति माह प्रति अपूर्ण एस0टी0पी0 हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन एस0टी0पी0 परियोजनाओं में निर्माणकार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां दिनांक 31.12.2020 के पश्चात् विलम्ब हेतु रू 10 लाख/माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण एवं वेटलैण्ड तथा बायो डायवर्सिटी पार्क के माध्यम से फ्लड प्लेन के विकास हेतु स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की जाए। मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.01.2019 को रू 10.00 करोड़ की परफार्मेंन्स गारण्टी जमा किये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित थी। नगर विकास विभाग द्वारा परफार्मेंन्स गारण्टी के संबंध में उचित कार्यवाही न किये जाने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.09.2019 को रू 1.00 करोड़ की अतिरिक्त परफार्मेंन्स गारण्टी जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक के दौरान मा0 अधिकरण के आदेशों का बिन्दुवार विवरण सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया एवं उक्त की प्रति ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा गया कि मा0 अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceol@uppcb.com" के माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास विभाग, नगर निगम गाजियाबाद, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद, लोनी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0)

4- ओ0ए0 सं0- 606/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक-12.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त आदेश में निम्न विषयों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

- Compliance of Solid Waste Rules including Legacy Waste.
- Compliance of Bio-medical Waste Rules
- Compliance of Construction & Demolition Waste.
- Compliance of Hazardous Waste Rules.
- Compliance of E-waste Rules.
- 351 Polluter Stretches in the country.
- 122 Non-attainment cities.
- 100 industrial clusters.
- Status of STPs and re-use of treated water.
- Status of CETPs/ETPs including performance.
- Ground water extraction/contamination and re-charge.
- Air pollution including noise pollution.
- Illegal sand mining.
- Rejuvenation of water bodies.

मा० अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयों पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्न बिन्दु सम्मिलित किये जाए—

- Current status
- Desirable level of compliance in terms of statutes.
- Gap between current status and desired levels.
- Proposal for attending the gap with time lines.
- Name and designation of designated officer for ensuring compliance to provisions under statute.

बैठक में समस्त सम्बन्धित विभागों को बोर्ड द्वारा तैयार की गई टेम्प्लेट जिसमें मा० अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु फॉर्मेट तथा बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अद्यतन स्थिति का विवरण संकलित किया गया है, उपलब्ध कराई गई तथा ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की गई। उक्त ओ०ए० सं०-606/2018 में मा० अधिकरण के समक्ष समस्त अभिलेखों एवं अनुपालन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० को दिनांक 10.01.2020 को उपस्थित होना है तथा आदेश की तिथि दिनांक 12.09.2019 के 01 माह के अन्दर अर्थात् 12.10.2019 तक अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा

जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "cco7@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, ग्राम्य विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, गृह विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग)

- 5- ओ०ए० सं०- 116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019 द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा उक्त ओ०ए० में पारित आदेश द्वारा सचिव, नगर विकास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, उ०प्र० एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 09.12.2019 से पूर्व मा० अधिकरण में कार्यवाही आख्या प्रस्तुत की जानी है। मा० अधिकरण द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु सचिव, सिंचाई को नोडल नामित किया गया है, जिसके द्वारा मा० अधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "cco6@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग-नगर विकास, सिंचाई विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- 6- ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dhat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019 के द्वारा जारी निर्देशों का विवरण समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। मा० अधिकरण द्वारा जस्टिस अरुण टण्डन, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मा० अधिकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं 26.09.2019 में पाये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निम्न आदेश जारी किये गये हैं :-

- 1- Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.
- 2- Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.
- 3- The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.
- 4- A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in

उक्त ओ०ए० में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 04.11.2019 है तथा मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० द्वारा दिनांक 27.10.2019 से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "ms@uppcb.com" एवं "ceo2@uppcb.com" के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग—नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ, नगर निगम कानपुर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारी कानपुर देहात, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7- अन्त में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण दिनांक 10.10.2019 तक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये, जिससे समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए मुख्य सचिव महोदय को अवलोकित कराते हुए मा० अधिकरण में अनुपालन एवं कार्यवाही आख्या मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से ससमय प्रेषित की जा सके।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न अपशिष्ट नियमों के अनुपालन तथा अनुश्रवण हेतु तैयार किये गये Three Tier Monitoring Mechanism से अवगत कराया गया तथा ऑनलाइन सूचना भरे जाने हेतु अनुश्रवण बैठक के दौरान मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि फ्रील्ड में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक माह उक्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑनलाइन सूचनाएं भरे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(*)
कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या-NGT-498/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी.सी.

लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/ग्राम्य विकास/सिंचाई/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/परिवहन/लोक निर्माण/उद्यान/कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर देहात।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद/कानपुर।
7. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
9. सदस्य सचिव, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न मामलों में पारित आदेशों को अनुपालन के आश्वासन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 17.10.2019 को सम्पन्न सचीवा बैठक का सारविवरण।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन की स्थिति के अनुमूलन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-17.10.2019 को अपराह्न 01:00 बजे सचीवा बैठक आयोजित की गई। आदेशों का विवरण निम्नवत् है :-

- (1) ओ०ए० सं०- 231/2014, सोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-20.09.2019.
- (2) ओ०ए० सं०- 06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 11.09.2019
- (3) ओ०ए० सं०- 506/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक- 12.09.2019
- (4) ओ०ए० सं०- 116/2014, भीम शुकला बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019
- (5) ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajman, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rukhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019

सर्वत्र बैठक की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन ने मा० एच०जी०टी० द्वारा पारित सर्वत्र आदेशों में दिये गये निर्देशों का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.10.2019 में समस्त संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए टेम्पलेट पर अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु संबंधित विभागों से वांछित समस्त अनुपालन आख्याएँ/पूर्ण सूचनार्थ प्राप्त नहीं हुई हैं।

- I. ओ०ए० सं०- 231/2014, सोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य आदेश दिनांक- 20.09.2019 (हिण्डन नदी में प्रदूषण के संबंध में)

(क). प्रभावित ग्रामों में पार्श्व घाटर सफाई (PWS) की व्यवस्था।

जानपद- सहारनपुर, मुजाफ्फरनगर, शामली, भेरा, बागपत एवं गाजियाबाद के प्रभावित 148 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मा० अधिकरण द्वारा समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 43 ग्रामों में पार्श्व

जलापूर्ति (PWS) की जा रही है, 22 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, 38 ग्रामों के लिए टेण्डर अप्रूव हो चुके हैं, 13 ग्रामों के लिए टेण्डरिंग प्रक्रिया प्रगति पर है। 32 ग्रामों में से 30 ग्रामों की डीपीआर दिनांक 14.10.2019 में अनुमोदित की जा चुकी है। 01 ग्राम विराल, जनपद बागपत में स्थित है, उसमें भूमि की उपलब्धता न होने के कारण डीपीआर नहीं बनायी जा सकी है। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर, 2020 तक 103 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाएगी। उ०प्र० जल निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रभावित 1056 ग्रामों से मानक के अनुसार 4790 हैण्ड पम्प की आवश्यकता के सापेक्ष 9056 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। मार्च, 2018 के बाद कुल 251 हैण्ड पम्प के जल की जांच की गयी। जाँच में जल गुणवत्ता सुचित पायी गयी है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत स्थित ग्राम द्वारा टाउन एरिया कमेटी है, जिसका डीपीआर शासन में प्राप्त हुआ है तथा जिसमें अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम विराल में पैयजल आपूर्ति हेतु डीपीआर बनाये जाने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। दिसम्बर 2020 तक समस्त प्रभावित ग्रामों में पाईपड जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने एवं इन्टरमीडिएट माइल स्टोन तैयार कर कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जाय। समस्त प्रभावित गांवों जिनमें पाईपड पैयजल की आपूर्ति नहीं हो पायी है, उनमें टैंकरों से पैयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम)

(ख). प्रभावित ग्रामों के स्वास्थ्य केंद्रों में पाए गए गंभीर बीमारी यथा कैंसर के मरीजों के उपचार के संबंध में।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2019 में हेल्थ चैकअप कैंप लगाए गए थे, जिनमें से 174 कैंसर पेशेन्ट पाए जाने की सूचना यद्यपि प्राप्त हुई है, परन्तु मरीजों के उपचार का पूर्ण विवरण प्रेषित नहीं किया गया है। आयोजित किए गए कैंप एवं गंभीर रोगियों के उपचार की पूर्व सूचना से भिन्नताएं भी पायी गयी हैं। उक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि गंभीर रोग तथा कैंसर के मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने तथा जनपदों में लगाए गए कैंप एवं कैंसर के मरीजों का जिन अस्पतालों में उपचार चल रहा है, का पूर्ण विवरण दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रभावित गांवों में लगातार स्वास्थ्य कैंप आयोजित कराये जाय तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों की स्पेशियलिटी अस्पतालों में उपचार सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन)

(ग). प्रस्तावित एस0टी0पी0 के निर्माण में विलम्ब तथा एस0टी0पी0 की स्थापना होने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में बायोरेमिडिएशन की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर में प्रस्तावित 93.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के लिए डीपीआर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के स्तर से तैयार की जा रही है। बुढ़ाना 10 एम0एल0डी0 एवं मुजफ्फरनगर 22 एम0एल0डी0 के लिए बिड प्राप्त हो गयी है तथा तकनीकी परीक्षण प्रगति पर है। बायोरेमिडिएशन के लिए टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं। बायो रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर-2019 से प्रारम्भ किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर एवं बुढ़ाना में प्रस्तावित उक्त दोनों एस0टी0पी0 एक ही पैकेज में सम्मिलित हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया गतिमान है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य निर्धारित टाइमलाईन में पूर्ण कर लिया जायेगा।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहारनपुर एस0टी0पी0 की डीपीआर को शीघ्र तैयार कराये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुरोध किया जाये तथा एस0टी0पी0 निर्माण की योजना में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप अंतरिम माईल स्टोन प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाय। पीरिऑडिकल माईलस्टोन के आधार पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन नियमित अनुश्रवण कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तथा विलम्ब पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेगे। बायो-रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर-2019 से अवश्य प्रारम्भ कर लिया जाये तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो-रेमिडिएशन कार्य का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(घ) हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक्शन प्लान के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग व्यवस्था एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिकवरी के संबंध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदनोपरान्त संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र एवं एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" (www.upecp.in) विकसित किया गया है। दोषी उद्योगों/संस्थाओं के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 9.4 करोड़ के सापेक्ष रूपये 2.75 करोड़ की

रिक्वरी की जा चुकी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरुद्ध सहमति रिजोक्त कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही—सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद)

(ड) रुपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा करने के संबंध में।

मा० एन०जी०टी० द्वारा रुपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने के संबंध में आदेश दिनांक 15.03.2019 पारित किए गए थे। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 के अनुपालन में रुपये 5 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने का कार्य लम्बित है। मा० अधिकरण द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है तथा परफार्मेंस गारण्टी को जमा करने से अवमुक्त किए जाने संबंधी शासन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मा० एन०जी०टी० में उक्त वाद दिनांक 21.10.2019 को सुनवाई हेतु नियत है तथा अनुपालन आख्या मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन स्तर से दाखिल की जानी है।

उक्त के संबंध में सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित है अतः परफार्मेंस गारण्टी के सम्बन्ध में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा मा० एन०जी०टी० द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही—प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक सूचना/अनुपालन आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई.डी. ms@uppecb.com एवं ceo1@uppecb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त संबंधित विभाग)

- ii. ओ०ए० सं०-06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदेश दिनांक-11.09.2019 (गाजियाबाद में यमुना नदी के प्रदूषण के संबंध में)

(क). सीवेज मैनेजमेंट:-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी के जल प्रदूषण से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० राज्य का गाजियाबाद जनपद आच्छादित है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यमुना नदी में सीवेज निस्तारण नियंत्रित करने हेतु लघु एवं दीर्घ कालीन समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्र के सीवर क्षेत्र, अन्सीवर्ड क्षेत्र एवं सीवर नेटवर्क में लीकेज की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसे सीवेज समचार संयंत्र जिनके द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही हो, का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा अन्तरिम शोधन व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन के माध्यम से शोधन विलम्बतम् दिनांक 01.01.2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। मा० अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बन्धला ड्रेन में उत्प्रवाह की वास्तविक स्थिति का मापन कराया जाए। इन्दिरापुरम स्थित एस०टी०पी० के आउटफाल ड्रेन की क्षमता को बढ़ाये जाने के निर्देश मा० अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। साहिबाबाद ड्रेन में घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह प्रवाहित होने के दृष्टिगत एस०टी०पी० को तकनीकी रूप से उच्चिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यरत एस०टी०पी० की कमियों को 03 माह में निराकरण करने अन्यथा रु 5 लाख प्रति एस०टी०पी० की दर से सी०पी०सी०बी० को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराने हेतु मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्देश दिये गये हैं। मा० एन०जी०टी० द्वारा सीवेज मैनेजमेंट से सम्बन्धित निर्माणाधीन कार्यों को पूरा न करने पर दिनांक 01.07.2020 से रु 10 लाख प्रतिमाह सी०पी०सी०बी० को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने तथा जहां निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है वहां दिनांक 31.12.2020 के पश्चात् विलम्ब हेतु रु 10 लाख/माह/एस०टी०पी० की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि लोनी क्षेत्र में सैम्टेज मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार इन्दिरापुरम एस०टी०पी० के आउटफाल ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाये जाने हेतु भी डीपीआर का अनुमोदन किया जा चुका है। साहिबाबा ड्रेन के एस०टी०पी० को उच्चिकृत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि साहिबाबाद ड्रेन के डिस्चार्ज का पुनः निर्धारण कराया जा चुका है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उ०प्र० जल निगम से सूचना का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2019 द्वारा रुपये 10 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था जिसके संबंध में कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित थी। नगर

विकास विभाग द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा 01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी 01 माह के अन्दर जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में आविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नगर विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टेम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक अनुमालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)

(ख). इण्डस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंट:-

दोषी उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, उद्योगों की इन्वेन्ट्री एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरुद्ध सहमति रिवाक कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं मू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संबंधित जिलाधिकारी)

(ग). फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण, बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण के संबंध में:-

विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अगवत कराया गया कि यमुना नदी के फ्लड प्लेन का चिन्हीकरण किया गया है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्य सम्मन्ध बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹0 38 करोड़ का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण एवं अन्य बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन)

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टेम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई. डी. ms@uppcb.com एवं ceo1@uppcb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त संबंधित विभाग)

iii. ओ०ए० सं०-116/2014 मीरा सुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य आदेश दिनांक-27.09.2019

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में निर्देशित किया गया है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किया जाए कि किन परिस्थितियों में बिना संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने वाले उद्योगों को मात्र स्थापनार्थ सहमति के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा बिना केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की पूर्वानुमति के ह्यूबवेल के प्रयोगों को अनुमत्त किया गया। मा० अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की अनियमितताओं को राज्य स्तर पर रोके जाने हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समुचित मैकेनिज्म विकसित की जाए।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा० अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त कर शासन-देश जारी कराये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

iv. ओ०ए० सं०-608/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को निम्न बिन्दु पर अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष माह नवम्बर तक प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में दिनांक 10.01.2020 को मा० अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निम्न विषयों एवं मा० अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

- Compliance to Solid Waste Rules including Legacy Waste.
- Compliance to Bio-medical Waste Rules.
- Compliance to C & D Waste.
- Compliance to Hazardous Waste Rules.
- Compliance to E-waste Rules.
- 351 Polluter Stretches in the country.
- 122 Non-attainment cities.
- 100 industrial clusters.
- Status of STPs and re-use of treated water.
- Status of CETPs/ETPs including performance.
- Ground water extraction/contamination and re-charge.
- Air pollution including noise pollution.

- **Illegal sand mining.**
- **Rejuvenation of water bodies.**

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषयों पर अनुपालन आख्या मा० अधिकरण के आदेश में निर्धारित निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जानी है :-

- Current status
- Desirable level of compliance in terms of statutes.
- Gap between current status and desired levels.
- Proposal of attending the gap with time lines.
- Name and designation of designated officer for ensuring compliance to provisions under statute.

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ०ए० सं०-६०६/२०१८ में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक १२.०९.२०१९ के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक ०४.१०.२०१९ में लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुए मा० अधिकरण के उक्त आदेश में सम्मिलित समस्त विषयों पर निर्धारित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या समस्त विभागों द्वारा विलम्बतम् एक सप्ताह में पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (ई-मेल soenvups@rediffmail.com) तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई-मेल ms@uppcb.com, ceo7@uppcb.com) पर प्रस्तुत की जाए तथा पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० अधिकरण के आदेश में सम्मिलित विषयों पर अनुपालन आख्या संकलित की जाए।

कृत कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग :-

1. **Compliance to Solid Waste Rules including Legacy Waste:** नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग
2. **Compliance to Bio-medical Waste Rules:** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. **Compliance to C & D Waste:** नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन
4. **Compliance to Hazardous Waste Rules:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम.एस.एम.ई विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5. **Compliance to E-waste Rules:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम.एस.एम.ई, श्रम विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. **351 Polluter Stretches in the country:** सिंचाई, नगर विकास, वन विभाग, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. **122 Non-attainment cities** :आवास एवं शहरी नियोजन, परिवहन, नगर विकास, वन विभाग, ऑयल कम्पनीज, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. **100 industrial clusters** :अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम. एस.एस.ई., यू०पी०एस०आई०डी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
9. **Status of STPs and re-use of treated water** :नगर विकास विभाग
10. **Status of CETPs/ETPs including performance** :अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम.एस.एस.ई., यू०पी०एस०आई०डी०सी०
11. **Ground water extraction/contamination and re-charge** :केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
12. **Air pollution including noise pollution** :गृह विभाग, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
13. **Illegal sand mining** :भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
14. **Rejuvenation of water bodies** :नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग

V. ओ०ए० सं०- 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re, Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक- 27.09.2019 में दिये गये निर्देशों के संबंध में-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० अधिकरण द्वारा जस्टिस अरुण टण्डन, पूर्व न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा० अधिकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं 26.09.2019 में पाये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त ओ०ए० में निम्न आदेश जारी किये गये-

- 1- Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.
- 2- Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.

3- The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.

4- A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 की अनुपालन आख्या संबंधित विभागों द्वारा समय से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त ओ.ए. संख्या 985/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश का समयबद्ध रूप से अनुपालन किए जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) रनिया, कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साइट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर द्वारा की जा रही जलापूर्ति जोकि अस्थायी रूप में है, की नियमित रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में पाईप लाइन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

(ख) रनिया, कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साइट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्थापित चिह्नित हैण्ड पम्पों/नलकूप/बोरवेल जिनका जल पेय योग्य नहीं है, को सील किया जाये तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु प्लेड से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है" तथा उनका प्रयोग प्रतिबंधित किए जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

(ग) खानचन्दपुर, रनिया-कानपुर देहात के क्रोमियम डम्प साइट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों तथा राखी मण्डी-कानपुर नगर में हैल्थ चैकअप एवं सर्वेक्षण कर हैल्थ सर्वे रिपोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी-कानपुर देहात)

(घ) राखीमण्डी, कानपुर नगर के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु नगर निगम, कानपुर द्वारा की गयी व्यवस्था का पूर्ण विवरण तैयार कर 02 दिन के अन्दर प्रस्तुत

किया जाए यदि इस क्षेत्र में कोई हैण्ड पम्प/नलकूप/बोरवेल का जल पेय योग्य न हो तो उसको तत्काल सील किए जाने की कार्यवाही की जाए तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु पेन्ट से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है"।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर/जिलाधिकारी, कानपुर नगर)

- (ड) कानपुर नगर से जनित घरेलू जल/मल के शुद्धीकरण हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट एवं सी०ई०टी०पी० को शीघ्र संचालित किया जाय। गंगा नदी में मिलने वाले नालों के बायो रेभिडिएशन हेतु की जा रही कार्यवाही का पूर्ण विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्तुत किया जाए। गंगा नदी में किसी भी दशा में अशुद्धीकृत उत्प्लावक के निस्तारण न किया जाय तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों की संगठनों के साथ बैठक कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम)

- (च) खानचन्दपुर, रनिया- कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार in-situ साइट पर उपचारित किए जाने की प्रथम फेज के अन्तर्गत अनुमानित लागत रूपये 23.44 करोड़ की धनराशि यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध करायी जाये तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर क्रोमियम स्लज के निस्तारण किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. विभाग, यूपीएसआईडीसी, जिला प्रशासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया जाए कि जिनके द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किया गया है तथा जाँच कर दोषी उद्योगों के विरुद्ध polluters pay principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/एम.एस.एम.ई. विभाग, उ०प्र० शासन/निदेशक, उद्योग/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

उक्त ओ०ए० में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 04.11.2019 है तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 27.10.2019 से पूर्व अनुपालन आख्या ई-मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। मा० अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 22.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई-मेल "soenvups@rediffmail.com, ngtcell@uppcb.com" के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर/प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई)

3- अन्त में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए जिससे समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को अवलोकित कराते हुए मा० अधिकरण में अनुपालन एवं कार्यवाही आख्या मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के माध्यम से ससमय प्रेषित की जा सकें।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न अपशिष्ट नियमों के अनुपालन तथा अनुश्रवण हेतु तैयार किये गये Three Tier Monitoring Mechanism से अवगत कराया गया तथा ऑनलाइन सूचना भरे जाने हेतु अनुश्रवण बैठक के दौरान मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि फील्ड में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक माह उक्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑनलाइन सूचनाएं भरे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(कल्पना अक्शी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या- N. 535(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी0सी0

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन (एम0एस0एम0ई0)/खाद्य एवं रसद/ग्राम्य विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/गृह/सिंचाई/भूतत्व एवं खनिकर्म/श्रम/चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/न्याय/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/कानपुर नगर/कानपुर देहात।
- 6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 7- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम, कानपुर।
- 8- निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
- 11- परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्वी/पश्चिमी।
- 12- शार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मांस्त प्रसाद)
अनु सचिव।

कार्यालय

नगर पंचायत अकबरपुर जनपद कानपुर देहात

संख्या- 539/एचओ/2019-20

दिनांक-10-10-2019

जिम्मेदार अधिकारी,
कानपुर देहात।

कृपया आपके पत्र सं- 654GD/ओएसडी-पेयजल/2019 दिनांक- 03 अक्टूबर, 2019 के अनुफलन में सादर अवगत कराना है कि आपके आदेशानुसार नगर पंचायत अकबरपुर द्वारा ग्राम खानकपुर व उसके मजरे यादव टोला, पाल टोला व परसदीपुर तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात में नगर पंचायत के पेयजल टैंकरो द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। उक्त पेयजल की आपूर्ति आपके अग्रिम आदेशों तक नियमित रूप से करायी जाती रहेगी।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिसारी अधिकारी
जिम्मेदार अधिकारी
नगर पंचायत अकबरपुर
कानपुर देहात

प्रतिक्रिया

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फतेहपुर रोशनाई, रणियों कानपुर देहात को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसारी अधिकारी
जिम्मेदार अधिकारी
नगर पंचायत अकबरपुर
कानपुर देहात

Annexure No.-5A

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या-11फ/BMW/UPPCB/2019/5831

लखनऊ दिनांक १५ अक्टूबर, 2019

विषय- ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ औद्योगिक क्षेत्र कानपुर देहात में आयोजित हेल्थ कैम्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात के पत्र संख्या 1418/एन-32/19 दिनांक 12.09.2019 के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर देहात द्वारा हेल्थ कैम्प आयोजित कर पत्र संख्या का0वे0/मु0चि0अ0/प्र0निय0/2019-20/4856, दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात को प्रेषित की गयी है।

अतएव आपको आयोजित हेल्थ कैम्प की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या-11फ/BMW/UPPCB/2019/

तददिनांक,

प्रतिलिपि स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

• प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर देहात।

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
844, फतेहपुर रोशनाई, रनियां,
कानपुर देहात।

पत्रांक-का०दे०/मु०चि०अ०/प्र०निय०/2019-20 | 405

दिनांक-11.10.2019

विषय- ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियां औद्योगिक क्षेत्र कानपुर देहात में आयोजित हेल्थ कैम्प के सम्बंध में।

महोदय,

आपके पत्रांक 1418/एन०-32/19 दिनांक 12.09.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 09 से 11 अक्टूबर 2019 को ग्राम खानचन्द्रपुर, उमरन, रहिमपुर, शिवनाथपुरवा एवं धारमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवनखेडा की स्वास्थ्य टीम द्वारा हेल्थ कैम्प कराया गया था जिसकी रिपोर्ट निम्नवत आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

ग्राम का नाम	कुल देखे गये मरीज	बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या					
		चर्म रोग	पेट	स्वास	हड्डी	आंख	अन्य
खानचन्द्रपुर	168	15	18	8	7	8	41
उमरन	233	50	28	16	46	7	86
रहिमपुर	39	4	4	4	4	3	20
शिवनाथपुरवा	32	5	3	6	6	3	9
धारमपुर	42	2	41	2	3	2	19
कुल योग	514	94	63	38	84	24	211

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर देहात।

पत्रांक-का०दे०/मु०चि०अ०/प्र०निय०/2019-20

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर देहात।

Annexure No.-5B

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या-11फ/BMW/UPPCB/2019/5846

लखनऊ दिनांक २5 अक्टूबर, 2019

विषय:- राखी मण्डी, अनवरगंज कानपुर नगर में आयोजित हेल्थ कैम्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर द्वारा हेल्थ कैम्प आयोजित कर पत्र संख्या गु०चि०अ०/स्वा०शिविर/2019-20/कैम्प, दिनांक 24.10.2019 के माध्यम से निदेशक (स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

अतएव आपको आयोजित हेल्थ कैम्प की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

संख्या-11फ/BMW/UPPCB/2019/

तददिनांक,

प्रतिलिपि स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

निदेशक (स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक : मु०चि०अ०/स्वा०शिविर/2019-20/कैम्प

दिनांक : 24.10.2019

विषय : राखी मण्डी, अनवरगंज कानपुर नगर में हेल्थ कैम्प रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि राखी मण्डी, कानपुर नगर जो अनवरगंज क्षेत्र में आता है। राखी मण्डी क्षेत्र में इस वर्ष दो हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये हैं। हेल्थ कैम्प में मरीजों का डिस्ट्रीब्यूशन निम्नवत् रहा है।

कुल मरीजों की सं०	महिलाओं की संख्या	पुरुषों की संख्या	बीमारी से ग्रसित मरीजों की सं०												
			चर्म रोग	जायबिटीज	कैसर	हड्डी/जोड़	एनीमिया	जायरिया	दांत रोग	ब्लड प्रेशर	पेट रोग	जोख	स्नायु	अन्य व रिफर	
297	137	160	78	12	0	20	16	9	2	23	65	36	22	16	

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

पत्रांक : मु०चि०अ०/स्वा०शिविर/2019-20/

तददिनांक।

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

**Uttar Pradesh State Industrial
Development Authority**



UPSIDC Complex,
A-1/4, LAKHANPUR,
Kanpur-208024
Tel.: 0512-258281
Website: www.upsidc.com
Email: jmd@upsidc.com
CIN: U26960UP1961SGC002834

Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhavan,
East Arjun Nagar,
Delhi- 110032

Ref. No.....UPSIDA/

Date.....

Subject:- Remediation of Contaminated Area: Rania, Kanpur Dehat, U.P.

Reference Order dated 27.09.19 in OA no. 985/2019 in Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Dehat, Uttar Pradesh

Sir,

In reference to above mentioned order a meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary Go.U.P. it was informed by Principal Secretary (Environment, Forest and Climate Change) that hon'ble National Green Tribunal has passed the following order after taking cognisance of report dated 25.09.2019 and 26.09.2019 of Monitoring Committee (Retired Justice Arun Tandon):

1. Chief Secretary, UP may forth with ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of the Tribunal.
2. Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.
3. The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.
4. A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ng@gov.in

Minutes of the meeting held under the chairmanship of Chief Secretary, Govt. of U.P. has been circulated vide which it was instructed that the funds for the first phase (Rs. 23.44 crore) for execution of shifting of Chromium dump at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat is to be arranged by UPSIDA and also, further action should immediately be initiated in this regard. The DPR for shifting of Chromium dump and Soil Remediation is prepared by CPCB,

It is pertinent to mention here that since UPSIDA is not an expert agency for the above work and the DPR for shifting of Chromium dump and Soil Remediation is prepared by CPCB so necessary guidance may kindly be provided to UPSIDA by CPCB and as per the directions of NGT also CPCB should be in lead role. Therefore it is requested that you may kindly designate some senior official to undertake this project and who could also act as a nodal officer for single point communication in this regard. Simultaneously, the consultant who has prepared the DPR may be directed to have a meeting with UPSIDA and CPCB as early as possible to explain the procedure to be followed for execution of above mentioned works. Government letter no.2958(1)77-4-18-70 L.C./ 18 Dt.30-09-2019 for constituting a committee for further action in this regard is hereby also enclosed for reference.

(Sandeep Chandra)
General Manager (Engg)
Date: 25.10.19

Ref No. 83(IV) SIDA/EE Chromium dump

Copy To:

1. Staff Officer for kind perusal of Chief Secretary, U.P.
2. P.S. for kind perusal of Chairman CPCB.
3. C.E.O UPSIDA For information in compliance of his instructions.
- ✓ 4. Member Secretary UP Pollution Control Board with request to designate some senior officer from UPPCB in compliance of U.P Government letter no.2958(1)77-4-18-70 L.C./ 18 Dt.30-09-2019.
5. Advisor Environmental / Nodal Officer N.G.T. UPSIDA For necessary action

(Sandeep Chandra)
General Manager (Engg)



Annexure No.-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1516/R-130/2019
सेवा में,

पंजीकृत
दिनांक-24-10-19

1. मैसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात,
द्वारा श्री दिलीप अवस्थी (निदेशक),
16 डी, श्यामनगर,
कानपुर नगर ।
2. मैसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात,
द्वारा श्री आर.एस. रेकवार, (निदेशक),
6/31 सी, पार्वती बंगला, रोड, रानीघाट,
कानपुर नगर ।

विषय:-ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा० न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है । मैसर्स सेरुलीन केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 4 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है । अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 19.05 प्रतिशत योगदान है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गाईडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रूपये 46,67,80,837.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयवधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर उम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रूपये 46,67,80,837.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1518/R-130/2019
सेवा में,

पंजीकृत
दिनांक-24-10-19

1. मैसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात,
द्वारा श्री अलखनाथ तिवारी (निदेशक),
24-4-1, देवकीनगर, यशोदा नगर,
कानपुर नगर-208011 ।
2. मैसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात,
द्वारा श्री अनिल, (निदेशक),
24-4-1, देवकीनगर, यशोदा नगर,
कानपुर नगर-208011 ।

विषय:-ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, **collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."**

मा० न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है। मैसर्स चॉदनी केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 3 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 14.28 प्रतिशत योगदान है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गार्डडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रुपये 53,34,23,812.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रुपये 53,34,23,812.50/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1517/R-130/2019
सेवा में,

पंजीकृत
दिनांक-24-10-19

1. मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात, द्वारा श्री अनिल शुक्ला वारसी (निदेशक), एच-2, किदवई नगर, संजयवन के सामने, कानपुर नगर ।
2. मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात, द्वारा श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, (निदेशक), एच-2, किदवई नगर, संजयवन के सामने, कानपुर नगर ।

विषय:-ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा० न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensaton to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरोरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है । मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 4 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है । अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 16.67 प्रतिशत योगदान है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गाईडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रुपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रुपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1519/R-130/2019
सेवा में,

पंजीकृत
दिनांक-24-9-19

1. मैसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात, द्वारा श्री दिलीप अवस्थी (निदेशक), 128, द क्लूड हाउस, द्वितीय तल, दि मॉल, कानपुर नगर ।
2. मैसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात, द्वारा श्री कीर्तिमान सिंह पुत्र श्री आर.एस. रेकवार, (निदेशक), 128, द क्लूड हाउस, द्वितीय तल, दि मॉल, कानपुर नगर ।

विषय:-ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा० न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensaton to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है । मैसर्स अमलिहा टेक्सटाईल्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 3 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है । अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 14.28 प्रतिशत योगदान है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गाईडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R**Where**

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रूपये 46,67,80,837.50 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में **Polluter Pays Principle** के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रूपये 46,67,80,837.50 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1520/R-130/2019

पंजीकृत दिनांक 24-10-19

सेवा में,

1. मैसर्स हिल्जर केमि प्रा० लि०, ग्राम चिरौरा रायपुर, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात, द्वारा श्री के० सी० अग्रवाल (निदेशक), द्वारा आर.पी. एडबिल ऑयल्स लि०, रनिया, कानपुर देहात, कार्यालय, द्वितीय तल, नारायणी प्लाजा, 25/41, कराची खाना, कानपुर नगर ।

विषय:-ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स हिल्जर केमि प्रा० लि०, ग्राम चिरौरा रायपुर, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga....."

मा० न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है । मैसर्स हिल्जर केमि प्रा० लि०, ग्राम चिरौरा रायपुर, खानचन्द्रपुर रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 4 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अयधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है । अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 19.05 प्रतिशत योगदान है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गाईडलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रुपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयवधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रुपये 39,98,57,850/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

844, फतेहपुर रोशनाई,
रनिया, कानपुर देहात

संदर्भ संख्या 1521/R-130/2019

पंजीकृत
दिनांक 24-10-19

सेवा में,

1. मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात,
द्वारा श्री के० के० जैन (निदेशक),
शिवाटेक अपार्टमेंट, पाण्डू नगर,
कानपुर नगर ।

विषय:—ग्राम खानचन्द्रपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में अवैध रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट से भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के कारण मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.08.2019 के संसुगत अंश निम्नवत् हैं -

"..... viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, **collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga.....**"

मा० न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy of Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०- 985/2019 एवं ओ०ए० संख्या 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश के अनुसार "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरुद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।"

उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1515/आर-130/2019 दिनांक 22.10.2019 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्द्रपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम से प्रदूषित हुआ है। मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा० लि०, रनिया, कानपुर देहात जिसकी उत्पादन क्षमता 3.5 एमटीडी थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का असुरक्षित ढंग से भण्डारण/डम्प किया गया है। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62225 एमटी में आपके उद्योग का 16.67 प्रतिशत योगदान है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में गार्डइलाइन जारी की गयी है, जिसमें निम्न प्राविधान है :-

...../2-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = Q \times \text{ERF} \times R$$

Where

Q is noticed or observed quantity (in tonne) of hazardous or other wastes which have not been managed in compliance with various provisions of the Acts/Rules/Guidelines/conditions of the authorisation/directions issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violations which have not caused environmental damage)

ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For Hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes is disposed at unauthorised place or handed over or sold to unauthorised party	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not conforming to prescribed specification or is specified for restricted use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules, 2008)	0.1	0.05

R= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उक्त के अनुसार की गई गणना के आधार पर आपके उद्योग के विरुद्ध रुपये 53,34,23,812.05 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की गई है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया नोट करें कि उक्त नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयवधि में प्रतिउत्तर न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रतिउत्तर न होने की स्थिति में Polluter Pays Principle के आधार पर इकाई द्वारा संचालन के दौरान जनित वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किये जाने के दृष्टिगत इकाई पर एवं इकाई के उत्तरदायी व्यक्तियों पर आंकलित की गई रुपये 53,34,23,812.05 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure No.-8

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-32(1)(सी) सपठित धारा-33ए के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2019 को जाजमऊ, कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों के विरुद्ध जारी बंदी आदेश की सूची।

क्र०सं०	उद्योग का नाम व पता
1	फरजाना टैनरी 406/377, अशफाबाद, जाजमऊ कानपुर
2	एम0एच0 टैनर्स (हाजी बड्डे टैनरी), 433, 398 मक्कू सईद का भट्टा, जाजमऊ कानपुर
3	साजिद टैनर्स 381, 1 डी, 30 बी/2, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
4	टॉप टैनर्स 408/377-ए, अशफाबाद, जाजमऊ कानपुर
5	साबरा लेदर फिनिशर्स 94 ई, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
6	पैराडाइज लेदर फिनिशर्स 16 बी(2), छबीलेपुरवा, जाजमऊ कानपुर
7	ए0पी0एफ0 (शबनम टैनरी) 70/59, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
8	आइशा टैनिंग इण्डस्ट्रीज 3 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
9	कास्मो टैनर्स (इन्शा लेदर फिनिशर्स) 160 सी, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
10	डिसेन्ट लेदर फिनिशर्स 40/39, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
11	इलाही टैनरी 43/36, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
12	इशरत फिनिशर्स इण्डस्ट्रीज 173/166, लल्लूपुरवा, जाजमऊ कानपुर
13	लियाकत लेदर फिनिशर्स (अमान टैनरी) 127 इकबाल स्ट्रीट, जाजमऊ कानपुर
14	मास इण्टरनेशनल 83/69, हिन्दुस्तान कम्पाउण्ड, जाजमऊ कानपुर
15	मुनीज टैनर्स 329/308, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
16	न्यू ऐरा इण्टरनेशनल, 16 सी, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
17	न्यू एरा टैनिंग सेन्टर 105/100, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
18	न्यू लाइट टैनिंग इण्डस्ट्रीज 125 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
19	न्यू मार्डन इण्डिया टैनरी 395/386, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
20	निशा ट्रेडर्स 25/20, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
21	नेवादा टैनर्स (कदीर इण्डस्ट्रीज) 94/80, ईदगाह रोड, जाजमऊ कानपुर
22	रिलायन्स टैनिंग इण्डस्ट्रीज 487-488, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
23	एस0आर0 टैनरी 129 ए, ब्लाक-सी, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
24	स्टार आई0ए0 इण्टरप्राइजेज (जेड0ए0 लेदर प्रोडक्ट) 42/41, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
25	स्टार टैनरी 19, रामराय सराय, जाजमऊ कानपुर
26	स्टार टैनिंग इण्डस्ट्रीज 19बी, लल्लूपुरवा, जाजमऊ कानपुर
27	त्रिवेणी टैनर्स 325/302, जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
28	वरटेक्स लेदर 13, 88/74, हिन्दुस्तान कम्पाउण्ड, जाजमऊ कानपुर
29	वासिफ टैनरी 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
30	जेबा टैनर्स 180/3, लल्लूपुरवा, जाजमऊ कानपुर
31	एहेतेशाम लेदर एण्ड लेदर प्रोडक्ट (पुराना नाम नसीर की टैनरी) शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
32	अलिग इण्टरनेशनल, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
33	अमान इण्टरप्राइजेज (ताज ट्रेडर्स) 71/60, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
34	जी0एन0 लेदर 169/162, जाजमऊ कानपुर
35	गौस लेदर फिनिशर्स भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
36	हनीफ लेदर 331/306, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
37	हीना लेदर एक्विजम (अल्मी लेदर) 332/308 ए, 2 बी, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
38	इकबाल अहमद की टैनरी 71/80 ए, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
39	इरफान टैनरी 70/59, शीतला बाजार, जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
40	इरशाद की टैनरी (इरशाद स्पलिट वर्क्स) 381/362, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर

41	इस्लाम लेदर फिनिशर्स 34/141, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
42	जे0एन0 इण्टरनेशनल (जलालू की टेनरी) 391/382, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
43	जय भारत इण्टरप्राइजेज 2 ए, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
44	ख्वाजा फिनिशर्स 381/380 ए, शीतला बाजार, जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
45	लईक टैन्स (मदीना ट्रेडर्स) 117/124, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
46	लीजा लेदर 330/306, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
47	एम0ए0 लेदर 159/152 बी, लल्लूपुरवा, जाजमऊ कानपुर
48	मैक इण्टरनेशनल 4 ए, रामराय सराय, रसूलाबाद रोड, जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
49	निशा इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम-सउद की टेनरी) 12/9, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
50	निजाम टैन्स 46/45, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
51	नूर लेदर फिनिशर्स गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
52	प्रिन्स लेदर 331/306 ए, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
53	आर0बी0 ट्रेडर्स 156/149, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
54	राजीव लेदर इम्बोजिंग 47/46, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
55	रुस्तम ट्रेडर्स 158/151, लल्लूपुरवा, जाजमऊ कानपुर
56	सल्लन इण्टरप्राइजेज 332/308, 10-बी, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
57	सन्नु इण्टरप्राइजेज बी-13, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
58	शाकिब लेदर ट्रेडर्स (इम्तियाज ट्रेडर्स) 157 बी, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
59	शोएब लेदर 332/308 ए, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
60	सुनील इण्टरप्राइजेज 330/306, भल्ला इस्टेट, जाजमऊ कानपुर
61	अपर इण्डिया प्रा0लि0 38/32 जाजमऊ कानपुर
62	अलिग इण्डस्ट्रीज 36ए, 150 फिट रोड जाजमऊ कानपुर
63	असलम टैन्स 860-864, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
64	जी0एस0 टैन्स 38 सी, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
65	गजल टैनिंग इण्डस्ट्रीज 104/90, 1 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
66	ग्लोब लेदर इण्डस्ट्रीज (ग्लोब इण्ड0 कार्पो0) 37 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
67	हक टैन्स 97 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
68	इस्लाम टैन्स 93/79 सी-150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
69	लाइवा लेदर्स (पुराना नाम-न्यू मून लाइट टेनरी) 829 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
70	महबूब सन्स 104/90 ए 21, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
71	मेराज टैनिंग इण्डस्ट्रीज 102/87, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
72	मेरिट लेदर फिनिशर्स 414, संजय नगर, जाजमऊ कानपुर
73	मेरिट लेदर प्रोडक्ट 91 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
74	मोबिन टैन्स 91 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
75	एन0एस0 टैन्स 84-ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
76	एन0एस0 टैन्स (यूनिट-2) 83 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
77	न्यू लाइट टैन्स, 59ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
78	नूरउल्लाह टैन्स (पुराना नाम निशात टैन्स) वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
79	प्राइम टैन्स 13ए, फिट रोड जाजमऊ कानपुर
80	रहमान इण्डस्ट्रीज लि0 (अल्लाहदाद टेनरी) 99/85ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
81	राना टेनरी 102, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
82	शायरा इण्डस्ट्रीज (अकमल सन्स) 35 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
83	सल्लन इण्टरप्राइजेज (शादाब इण्टरप्राइजेज) 104/90ए, संजय नगर, जाजमऊ कानपुर
84	शालीमार लेदर इण्डस्ट्रीज, 74ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
85	सनराइज लेदर फिनिशर्स (रिनबी इण्टरनेशनल) 86 इण्ड0 एरिया, जाजमऊ कानपुर

86	सुपर लेदर फिनिशर्स 408 के-409, संजय नगर, जाजमऊ कानपुर
87	टैन्स को 91 ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
88	तस्मिया लेदर प्रा0 लि0 (तलत लेदर प्रा0 लि0) 29 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
89	तेज इण्डस्ट्रीज 35 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
90	राजा टैन्री 81 सी, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
91	रूक्स एक्जिम प्रा0 लि0 50 ए, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
92	एवरग्रीन टैन्री 90ए, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
93	सुपर स्टाइल टैन्स प्रा0 लि0, 79, वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
94	एवरेस्ट एक्सपोर्ट 175/158 बी 3, बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
95	फरहान टैन्स 172/156, बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
96	हमराज टैन्स 175/158 बी, बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
97	लेदर वर्ल्ड 184ए-1 वाजिदपुर, जाजमऊ कानपुर
98	वीनस इण्डस्ट्रीज जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
99	एलाइन्ज लेदर (पुराना नाम रफीक टैन्री) 184-ए (5), बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
100	फिदा हुसैन की टैन्री (नफीस लेदर फिनिशर्स) 24-ए, 175/158 ए, बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
101	गोल्डेन इण्टरप्राइजेज 175/158 ए-25 डी, बुढ़ियाघाट, जाजमऊ कानपुर
102	एशिया टैन्री प्रा0लि0 1-ए पुरानी चुंगी, 1ए, जाजमऊ कानपुर
103	ईगल टैन्री 425/390, मक्कू सईद का भट्टा, जाजमऊ कानपुर
104	फरजाम टैन्स 416 ए, पुरानी चुंगी, जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
105	फिनिशड लेदर जॉब वर्क 433/398, मक्कू सईद का भट्टा, जाजमऊ कानपुर
106	एच0आर0 ट्रेडर्स 111 एफ, छबीलेपुरवा, जाजमऊ कानपुर
107	हयात टैन्री 37/ए, गज्जपुरवा, छबीलेपुरवा, मोती नगर, जाजमऊ कानपुर
108	हिमालया टैन्स 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
109	होमेरा टैनिंग इण्डस्ट्रीज, 1 डी (17-ए-1) 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
110	इम्पिरियल लेदर फिनिशर्स प्रा0 लि0 छबीलेपुरवा, जाजमऊ कानपुर
111	इकबाल एण्ड कम्पनी अशाफाबाद, जाजमऊ कानपुर
112	खान लेदर फिनिशर्स मक्कू सईद का भट्टा, जाजमऊ कानपुर
113	मोना टैनिंग इण्डस्ट्रीज मोना नगर, जाजमऊ कानपुर
114	नार्दन टैन्री 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर
115	शारिक टैन्स 786, मोती नगर, छबीलेपुरवा, जाजमऊ कानपुर
116	साइन लेदर फिनिशर्स (वैलकम केमिकल इण्ड0) 1 डी-11, छबीलेपुरवा, जाजमऊ कानपुर
117	सुल्तान टैन्स, 230 जाजमऊ रोड, जाजमऊ कानपुर
118	यूनीवर्सल टैनिंग इण्डस्ट्रीज 407/377 ए, जाजमऊ कानपुर
119	वी0टी0 आई0 एक्सपोर्ट (खुशीद टैन्री) 126/119, मोती नगर, गज्जपुरवा, जाजमऊ, कानपुर
120	याकूब टैन्स 112 एफ, छबीलेपुरवा, गज्जपुरवा, जाजमऊ कानपुर
121	जाज इम्पेक्स 208/800, शीतला बाजार, जाजमऊ कानपुर
122	जाज टैन्री 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर

Report of Principal Secretary, Urban Development Department,
Govt of Uttar Pradesh for compliance of order of Hon'ble Tribunal
dated 27.9.2019 in OA No. 985/2019 and OA No. 986/2019

1. This report is being filed in pursuance of order dated 27.09.2019 in OA 985 / 2019 and OA 986/ 2019 by Hon'ble NGT. It is submitted that the trunk sewer on which the work of cleaning, lining and rehabilitation was under execution is the main sewer line of Kanpur. This sewer line has no parallel alternate line for 2.1 kilometers connecting to Main Pumping Station. This line is more than 100 years old and is in critical stage for repairs and rehabilitation. If it fails or gets damaged, it will have catastrophic impact on environment, which will be difficult to manage in absence of alternate sewer line for this stretch. In rainy season the flow and quantity in river mitigates to a large extent the pollution level and the Guidelines issued by the NMCG on the subject of bio-remediation also mentions that in rainy season bio-remediation is not very effective. The above work is being done under Kanpur District-1 project sanctioned by the NMCG, which has completion date of 16.08.2020, so no other rainy season could have been availed of for the work. In view of above prevailing circumstances, the Executing Agency, Jal Nigam was directed to complete the work by 15.09.2019 vide letter dated 08.08.2019.
2. That, Hon'ble NGT in the matter OA No. 985/2019 and OA No 986/2019 in Re M.C.MehtaVs Union of India, had issued various directions for compliance by various stakeholders vide its judgement dated 13th July 2017 in respect of 86 drains falling in River Ganga or its tributaries River Ram Ganga, River Kali East and River Pandu in its stretch from Haridwar D/S to Unnao (Segment B Phase-I of R. Ganga). Vide para 182.1.3 of general directions of the said judgement of NGT, the following direction was also specified:

'All the directions contained in this judgement and more, particularly, in this part shall be carried out and implemented within the time frame specified under those directions. Wherever the directions relate to submissions of plan of the project/DPR the same shall be submitted to the Tribunal within six weeks from the date of the pronouncement of this judgement. The works identified and directed in this judgement must commence within four months of the order of the Tribunal and construction of STP/CETP or installation of any other anti-pollution devices, laying of pipeline should be completed positively within two years from the date of pronouncement of this judgement. Every authority, i.e., State Government, NMCG and all other departments of the Government and local authorities shall ensure compliance of this direction without delay and default. In the event any extension of time is required, they shall file an application before the Tribunal for that purpose well in advance.'

3. That Hon'ble Tribunal was pleased to constitute an implementation committee headed by Hon'ble Justice (Retd.) ArunTandon vide order dated 6.8.2018 to monitor and oversee the implementation of the Judgment of Hon'ble Tribunal dated 19.7.2017.
4. That upon considering the report of Hon'ble implementation Committee dated 25 Sept 2019 and 26 Sept 2019 in the matter listed as OA 985/2019 and OA No 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh With Re : Water Pollution

at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar, Uttar Pradesh was pleased to inter alia pass following direction on 27.09.2019:

- i. *The Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.*
- ii. *The Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.*
- iii. *The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, U.P. Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.*
- iv. *A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in.*

- v. The CPCB may furnish its report to this Tribunal with all relevant details before the next date.*
5. That the above said order was passed by Hon'ble Tribunal without issuing any notice to the Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh.
6. That the Hon'ble Tribunal was pleased to observe the following in para 16 -18 of the order dated 27.9.2019 before passing the directions as already mentioned above at para 4.

*"16. As already observed by this Tribunal including in the order dated 14.05.2019 that River Ganga being National River with distinct significance for the country, **even a drop of pollution therein is a matter of concern. All the authorities have to be stringent and depict zero tolerance to the pollution of River Ganga. Wherever STPs are not operating, immediate bioremediation and/or phytoremediation may be undertaken if feasible.** To avoid procedural delay of tender processes, etc. specifications and norms for undertaking such activities may be specified in consultation with the CPCB as was earlier directed in our order dated 29.11.2018. Performance guarantees may be required to be furnished for ensuring timely performance. It needs to be ensured that setting up of STPs and sewerage network to be completed and carried out so as to avoid any idle capacities being created. Performance guarantees may be taken for preventing such defaults.*

17. Wherever the work has not commenced, it is necessary that no untreated sewage is discharged into the River Ganga. Bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 5 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB. This however, is not to be taken as an excuse to delay the installation of STPs. For delay of the work, the Chief Secretary must identify the officers responsible and assign specific responsibilities. Wherever there are violations, adverse entries in the ACRs must be made in respect of such identified officers. For delay in setting up of STPs and sewerage network beyond prescribed timelines, State may be liable to pay Rs. 10 Lakhs per month per STP and its network. It will be open to the State to recover the said amount from the erring officers/contractors.

18. With regard to works under construction, after 01.07.2020, direction for payment of environmental compensation of Rs. 10 lakhs per month to CPCB for discharging untreated sewage in any drain connected to river Ganga or its tributaries and Rs. 10 lakhs per month to CPCB per incomplete STP and its sewerage network will apply. Further with regard to the sectors where STP and sewerage network works have not yet started, the State has to pay an Environmental Compensation of Rs. 10 lakhs per month after 31.12.2020. The NMCG will also be equally liable for its failure to the extent of 50% of the amount to

be paid. Till such compliance, bioremediation or any other appropriate interim measure may start from 01.11.2019."

5. That it is further humbly submitted that the work of desilting / cleaning/ restoration of 2100x2300 mm dia. trunk sewer of British era was required to be undertaken by UP Jal Nigam for proper and complete compliance of the judgment of the Hon'ble Tribunal dated 13.7.2017 in the matter of OA 200/2014 in relation to segment 1 B (Haridwar D/S to Unnao) stretch of river Ganga.
6. That 2104 m of the trunk sewer, under operation & maintenance by Kanpur Jal Nigam, required to be desilted/ cleaned/ restored which is connected to the cluster of STP's at Jajmau (Total Capacity 205 MLD), passes through very congested localities of Jajmau area of the city. It is laid at an average depth of about 6 m below the ground level and in present condition is able to carry only about 100 MLD sewage/ sullage for want of desilting/ sewer restoration to the said cluster of STP's of 205 mld total capacity operated and maintained by UP Jal Nigam on behalf of Kanpur Nagar Nigam. This stretch of 2.1 km of 2300 mm - 2100 and 1600 mm dimension trunk sewer is brick lined sewer and there is no parallel network to it leading to MPS. So, diversion of sewerage through other line to STP is not possible. The brick sewer line was damaged at several places due to corrosion which led to its frequent damage. This main sewer line has also been damaged by tanneries there by mixing industrial waste in domestic waste photograph attached (**Annexure-1**). This also led to mixing of tannery effluent with domestic sewage, which not only increased the

load for treatment on STP, but also made the treatment less effective. This also led to mixing of chromium in sewage water rendering the sludge unusable and harmful for the agricultural fields. These circumstances made the repair and rehabilitation of trunk sewer absolutely necessary. The said desilting/sewer restoration works required stopping/bypassing of the existing flow of sewage/sullage temporarily. This work will ensure utilization of trunk sewer to its full capacity and carry uninterrupted / unhindered flow of 205 MLD being tapped from various drains and sewerage network for proper treatment in the STPs as per the judgment dated 13.7.2017.

7. The UP Jal Nigam examined and found that laying of bypass sewer to carry existing discharge coming in to the said trunk sewer during desilting/ restoration work of sewer was not technically feasible due to ground conditions in said heavily congested area. A Copy of the map of the trunk sewer and its surrounding area is enclosed herewith as **Annexure 2** to explain the technical non viability of laying bye-pass sewer temporarily to carry about 100 mld discharge. Keeping in view that generation and discharge of sewage was not stoppable at source, the Nigam had to consider other options.
8. Bio remediation of the drain through which the discharge of sewage/sullage was proposed to be discharged during trunk sewer desilting was also considered by UP Jal Nigam in the light of the order of hon'ble tribunal dated 19.5.2019. A request accordingly was sent to the vendor for bio remediation of the proposed diverted discharges during August/ Sept 2019. However, the vendor for said technology

expressed an opinion that due to high volume, high velocity, high turbulence and very high dilution level conditions in the drains and consequent non availability of necessary retention time during said period falling in monsoon season, the bio remediation would not be effective. A copy of the letter dated 30.07.2019 of the vendor for Bio-remediation in reference to the meeting held on 25.07.2019 on the subject between U. P. Jal Nigam official and Vendor is enclosed herewith as **Annexure- 3**. It is pertinent to mention here that the "Revised Monitoring Protocols for In-situ bioremediation for drain treatment issued on 22.04.2019 also mentions at Para -5 that "Since during Monsoons, natural flow is available in abundance so, the projects proponent shall not carry out any intervention during the Monsoon season i.e. 1st July to 30th. September...". A copy of above Protocol is at **Annexure-4**.

9. That in the aforementioned circumstances the only viable option available to UP Jal Nigam was to allow the discharge of sewage/sullage in the drain directly into the River for limited period when desilting/ sewer restoration work was in progress during August- Sept 2019. During monsoon period natural conditions helped in minimizing/avoiding any damage to aquatic environment of river Gangadue to unavoidable discharge of afore mentioned sewage/sullage. The rainy season is the best time for undertaking this work as there is high discharge in river. The proposal was accordingly made to the Competent Authority in the Government and same was duly considered and approved by the Competent Authority in larger


public and environmental interest and for sincere compliance of directions of Hon'ble NGT. The above decision of the Competent Authority was then conveyed by Principal Secretary, Urban Development Govt of U.P cum Project Director, SPMG to the Jal Nigam for work of rehabilitation. UP Pollution Control Board was also notified accordingly. Copy of the order of Principal Secretary dated 8.8.2019 and letter sent to UPPCB dated 10.8.2019 are enclosed herewith as **Annexure 5.**

10. About 12times dilution was available to the river water during monsoon period when the said trunk sewer desilting / restoration work was under taken as compared to lean season as per river flow data obtained from Barrage Construction Division-II, U.P. Irrigation Department, Kanpur. A copy of said river flow data for the months of Jan 2019 to Oct 2019 is enclosed. An approximate computation on the basis of average discharge of sullage and sewage stopped from entering trunk sewer during desilting/ rehabilitation and its quality in terms of BOD as measured earlier, show that ganga water class would remain unchanged as C class despite the said flow of about 100 mld entering river without any treatment temporarily. A max BOD level increase in Ganga water is assessed to be in the order of about 0.08 to 0.22mg/l from August 2019 to October 2019. It is pertinent to add here that since the work of desilting of trunk sewer is an ongoing exercise, the time allowed for completion of same as per order of Hon'ble Tribunal was available till June 2020 and bio remediation of

drains was required to be ensured only since 1 Nov 2019 as per order of Hon'ble Tribunal dated 19.5.2019.

11. CPCB has suggested to Hon'ble Tribunal in the matter of OA 673/2018 that "as against time line laid down by this Tribunal, longer time line may be required where infrastructure has to be set up and where no infrastructure was possible, the polluted river stretches be diluted by using fresh water, preventing disposal of waste or adoption of bio remediation provision of green bridges/ proper O&M etc of existing STPs, ensuring proper disposal of STP sludges, ODF etc."
12. A copy of river water quality data for river Ganga at Kanpur as per UPPCB website is enclosed herewith as **Annexure-6**.
13. As per the report 'National status of wastewater generation & treatment' compiled by ENVIS Centre on Hygiene, sanitation, sewage treatment system and technology on the basis of replies to the Parliament Question and the report prepared by CPCB upto 2016, on all India basis 61754 MLD sewage is generated and the sewage treatment capacity 22963 MLD established which is 37.18 % only. As regards Kanpur 414 MLD sewage treatment capacity is available in Kanpur 58 MLD will be functional upto March-2020 and 30 MLD capacity is proposed to be added in coming projects upto December-2021. Thus presently 414 MLD sewage capacity is available against 420 MLD sewage generation which is 98.5% out of which 300 MLD is being utilized. A copy of the status report is enclosed herewith as **Annexure 7**.

14. UP Jal Nigam has been directed to prepare piped water supply scheme for RakhiMandi area. The DPR has been submitted to the State Govt for sanction and release of funds. The works would be completed within two months from date of sanction and release of funds.
15. That during trial and commissioning of 43 MLD STP at Jajmau, Kanpur, it was observed that the STP is not able to meet prescribed effluent parameters. Prima facie, equipment installed by the contractor were found malfunctioning beside other technical defects. Therefore, the contractor has been black listed and his security deposit has been forfeited. At the cost of said contractor, rectification work has already been awarded to other contractor as per procedure and the work to make STP fully functional to meet prescribed effluent standards is scheduled to be completed by March 2020. A copy of the order for black listing the contractor and forfeiture of his security money along with copy of letter of award of work to different contractor is enclosed herewith as **Annexure 8**.
16. Regarding supply of potable water in Rania and Rakhi Mandi, an order has been issued for supply of water through tanker in Rania and for Rakhi Mandi there is a pipe line of potable water. For Rakhi Mandi, which is in urban area, a pipe carrying portable water reaches their carrying the portable water from a tube well in adjacent area. To augment the portable water supply by providing portable water from surface source treated water in households of the area an estimate of Rs. 46.59 lac has been approved and funds released to the M.D. Jal Nigam vide order dated 22.10.2019. A copy of the same is at **Annexure -9**.


(Manoj Kumar Singh)
Principal Secretary, Urban Development
Government of Uttar Pradesh.



उत्तर प्रदेश जल निगम
मुख्य अभियन्ता (का0क्ष0), बेनाझावर रोड, कानपुर।

पत्रांक: 3893 / 129 / 19 दिनांक- 27/8/19

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- कानपुर नगर में वार्ड सं० 86 जोन-3 स्थित प्राइमरी स्कूल के निकट जाजमऊ सी.एस.पी.एस./एत.टी.पी. जाने वाली 2300 X 2100 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन (ब्रिक बैरल) में टेनरी उत्प्लावक निस्तारित होने के कारण सीवर लाइन की सफाई एवं रिहैबिलिटेशन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के संबंध में।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कानपुर नगर में वार्ड सं० 86, जोन-3 जाजमऊ स्थित प्राइमरी स्कूल से सी०एस०पी०एस० तक 2300 X 2100 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन (ब्रिक बैरल) की सफाई एवं रिहैबिलिटेशन का समयसमय कार्य कराया जा रहा है। कार्य करते समय सीवर लाइन के पैनल नंबर क्रमांक 3884सी से 3884डी की स्ट्रेच में 05 स्थानों पर एवं इसके अनुपवाह (Downstream) में भी कई स्थानों पर टेनरी उत्प्लावक निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके कारण लाइन में CO एवं H₂S इत्यादि गैसों की अधिकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे ट्रंक सीवर लाइन (ब्रिक बैरल) में सफाई एवं रिहैबिलिटेशन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा कार्यरत पजदूरों के जीवन के खतरे की भी संभावना बनी रहती है। उक्त के कारण से सीवर लाइन की सफाई एवं लाइनिंग के कार्य में बीच-बीच में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा कार्य की प्रगति भी प्रभावित हो रही है। प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं परियोजना निदेशक, एम०एम०सी०जी०-यू०पी०, लखनऊ के पत्रांक सं० 955/0241-एफ/एत०एम०सी०जी०/05 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा उक्त कार्य को प्रत्येक दशा में दिनांक 15.09.2019 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त कार्यस्थल के आसपास निम्नलिखित टेनरी इकाइयाँ स्थित हैं-

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. सालीमार लेदर इंडस्ट्रीज | 7. न्यू लाइट टेनर्स |
| 2. सनसाइन लेदर इंडस्ट्रीज | 8. सालिक लेदर फिनिशर्स |
| 3. सुपर हाउस टेनरी लि० | 9. स्तोय टेनर्स |
| 4. गोल्डन स्टार लेदर फिनिशर्स | 10. तस्मानिया लेदर्स |
| 5. रेबो इंटरनेशनल | 11. अमान टेनर्स |
| 6. तनवीर ट्रेडर्स | 12. भारत टेनिंग इंडस्ट्रीज |

अतः आपसे उक्त के संदर्भ में कार्यालय महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम, कानपुर जिनके अधीन कार्य कराया जा रहा है का पत्रांक 2574/डब्ल्यू-39ए/113 दिनांक 27.08.2019, जो क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कल्याणपुर, कानपुर को सम्बोधित है, की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उक्त ट्रंक सीवर लाइन से टेनरी उत्प्लावक का निस्तारण रोके जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए० के० गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (का०क्ष०)

पृष्ठांक सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, प्लॉट नं०-18, सेक्टर-07, गोमती नगर विस्तार योजना, तृतीय तल, लखनऊ-226010
- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर नगर।
- मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
- महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम, कानपुर

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(27/8/19)
मुख्य अभियन्ता (का०क्ष०)

कार्यालय महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र० जल निगम, कानपुर

प्राइमरी स्कूल से धर्मकोटा के बीच 2300 X 2100 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन की डिडिस्टिन्ग एवं रिहैबिलिटेशन कार्य के दौरान दिनांक 30.09.2019 की रात्रि में हुई दुर्घटना के संबंध में

वाई सं० 86, जोन-3 स्थित प्राइमरी स्कूल से धर्मकोटा के बीच 2300 X 2100 मिमी व्यास की ट्रंक सीवर लाइन की डिडिस्टिन्ग एवं रिहैबिलिटेशन का कार्य मै० सुष्टि-सैम लेन-योगी (जे०बी०) द्वारा कराया जा रहा है। उक्त के क्रम में दिनांक 30.09.2019 को मैनहोल संख्या 3904 से डाउन स्ट्रीम की ओर रात्रि में डिडिस्टिन्ग का कार्य कराया जा रहा था। उक्त मैनहोल वाजिदपुर नाले के किनारे पर स्थित है। उक्त मैनहोल से तीन मजदूर ट्रंक लाइन के अन्दर कार्य कर रहे थे, एक मजदूर मैनहोल के ऊपर बैठकर उक्त तीनों मजदूरों से संपर्क में था। उक्त मजदूरों के अलावा दो अन्य मजदूर, चार सेपटी टीम के सदस्य तथा दो वाहन चालक नाले के ऊपर सड़क पर उपस्थित थे, उक्त के अतिरिक्त घटना स्थल पर फर्म की एम्बुलेंस भी उपलब्ध थी। उक्त कार्य करने के पूर्व एवं कार्य के दौरान ट्रंक लाइन में नियमित प्रक्रिया के रूप में गैस की जांच करायी गयी, जिसमें आक्सीजन सहित अन्य गैसों का प्रतिशत अनुमत्त सीमा में था। कार्य स्थल के निकट स्थित वाजिदपुर नाला में रात्रि 11:00 बजे अचानक कोई उत्सवाह आ जाने के कारण हानिकारक गैसों की अधिकता होने से वहाँ मैनहोल तथा सड़क पर मौजूद मजदूर एवं अन्य श्रमिकों को गैस होने का आभास होने पर मैनहोल के अन्दर मजदूरों को सूचित कर फर्म की सेपटी टीम द्वारा बाहर निकालने को कहा गया। जिसके उपरान्त मैनहोल से तीनों मजदूरों को सेपटी टीम द्वारा बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के दौरान तीनों मजदूर तथा मैनहोल एवं ऊपर सड़क में बैठे चार मजदूर/सेपटी टीम के सदस्य नाले में बड़े उत्सवाह से निकली गैस के प्रभाव में आ गये। मैनहोल पर वेडा मजदूर गैस के प्रभाव में आने से बेहोश हो गया तथा वाजिदपुर नाले में गिर गया। जिसे पूर्ण सुरक्षा से नाले से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात् संपत्त मजदूरों को एम्बुलेंस के माध्यम से कार्यस्थल के निकट स्थित निजी हॉस्पिटल पर भर्ती कराया गया। दो मजदूर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य स्थिति में आ गये तथा उन दोनों को रात्रि में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। उक्त के अतिरिक्त चार मजदूर रक्षा नर्सिंग होम में भर्ती है, जिनको आज रात्रि में डिस्चार्ज किये जाने की संभावना है। एक मजदूर जो गैस लगने के कारण वाजिदपुर नाले में गिर गया था, जिससे उसके नाक, मुँह में सीवेज एस्पायरेट हो गया, उसे लाला लालपत राय चिकित्सालय (हिलेट अस्पताल), कानपुर के आई०सी०यू० में भर्ती कराया गया है।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 01.10.2019 को प्रातः महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र० जल निगम, कानपुर तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। वाजिदपुर नाले में निरीक्षण के दौरान भी रंगीन उत्सवाह पाया गया, जो कि घरेलू उत्सवाह से भिन्न है एवं प्रथम दृष्टया टेनरी/औद्योगिक उत्सवाह प्रतीत होता है। महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र० जल निगम, कानपुर द्वारा उक्त घटना के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, 30 प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया तथा वाजिदपुर नाले के उत्सवाह की संयुक्त सैमुलिंग कराने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुक्रम में संयुक्त सैमुलिंग करा ली गई है।


01/10/19
परियोजना प्रबन्धक



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D

-71-



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D Total Reach : 154 m



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D

-73-



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D

-74-



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D

-75-



MH No. : MH-I-1363C TO MH-I-1363D

-76-

MH ID: 3884D - 3884C BRICK BARRE DN: 2300 mm 2018/9/17 2:14:35
Sewer ID: 7 Ref No: JAJMAU,INSIDE-GENERENT INTERNATIONAL Upstream



Location: JAJMAU,CSPS,WARD-86,ZONE-3

Slope: 0 Deg Speed: 0.00 Ft/min Distance: 71.58 M

MH ID: 3884D - 3884C BRICK BARRE DN: 2300 mm 2018/9/17 2:14:00
Sewer ID: 7 Ref No: JAJMAU,INSIDE-GENERENT INTERNATIONAL Upstream



Location: JAJMAU,CSPS,WARD-86,ZONE-3

Slope: 2 Deg Speed: 0.00 Ft/min Distance: 67.48 M

-77-



-78-

MH ID: 3884D - 3884C BRICK BARRE DN: 2300 mm 2018/9/17 2:17:09
Sewer ID: 7 Ref No: JAJMAU,INSIDE-GENERENT INTERNATIONAL. Upstream

Location: JAJMAU,CSPS,WARD-86,ZONE-3

Slope: 2 Deg Speed: 18.40 Ft/min Distance: 88.64 M

10:11 -02:20
64%
9:13 AM 9/2/2019

-79-



दिनांक: 30/07/2019

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
उ० प्र० जल निगम, कानपुर।

विषय:- कानपुर नगर के नालों का वायोरेमिडियेशन विधि द्वारा शोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 25.07.2019 को आपको कक्षा में हुई वार्ता में आप द्वारा कानपुर नगर के नालों के वायोरेमिडियेशन विधि से शोधन हेतु प्रस्ताव पंगा गया था। उक्त के संबंध में अवगत करना है कि वर्षा ऋतु का प्रारम्भ हो चुका है। वर्षा ऋतु में भिन्न कारणों से वायोरेमिडियेशन विधि से नालों के उत्प्रवाह का शोधन किया जाना तकनीकी रूप से व्यावहारिक एवं प्रभावी नहीं होगा-

1. नालों का डिस्चार्ज अत्यधिक बढ़ जाने के कारण डिस्चार्ज का उचित मापन एवं उसकी घटती बढ़ती मात्रा को देखते हुये वायोरेमिडियेशन हेतु डोज का निर्धारण किया जाना अत्यन्त कठिन है।

2. नालों के प्रवाह की गति अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वायोरेमिडियेशन हेतु आवश्यक रिट्टेनान्स प्रोविड उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

3. वर्षा ऋतु में स्वयं गंगा नदी का डिस्चार्ज अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यदि वायोरेमिडियेशन विधि से नालों के प्रवाह के शोधन का प्रयास किया भी जाता है, तो उसके गंगा नदी की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में हमारा अभिमत है कि उक्त कार्य वर्षा ऋतु के उपरान्त कराया जाना ही उचित होगा।

PE
02/08/19
pm

भवदीय,



Head Office Delhi
C-22, Lalpat Nagar, III,
New Delhi - 110024
Tel.: 011-48542597
011-41558125
Mob.: +91-9311048823
E-mail: admin@jmenviro.com

Branch Office Punjab
Rajiv Nivas Opp Bawa
Laxman Public School
Jalandhar Road
Kapurthala-144601
Mob: +91-8283925811
E-mail: admin.punjab@jmenviro.com
www.jmenviro.com

Branch Office Mumbai
103 Rudraksha Building
Nariman Road, Vile Parle (E),
Mumbai - 400057
Tel: +91-22-26116076
Mob: 9870989331-39
E-mail: admin.mumbai@jmenviro.com



Annexure 4

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

V-174/2014-15/414/NMCG


Date:22/04/2019.

To,
Project Director, SMCG - UP,
834, Bapu Bhawan, Sachivalya,
Lucknow, 226001

Subject: - Revised Monitoring Protocols for bioremediation Pilot Projects – regarding
Sir,

This has reference to the earlier issued Monitoring Protocols issued vide letter dated 25/09/2018. However, it was observed that in some cases, the cost of monitoring was quite high to the cost of project. This has necessitated to rationalize the Monitoring cost to reasonable levels. Please find enclosed the revised Monitoring Protocols for bioremediation Pilot Projects and shall come into force with immediate effect.

Regards


22.4.2019
D. P. Mathuria
Executive Director, NMCG

Copy for information to:

1. Director, MNNIT, Allahabad
2. Director, AMU, Aligarh
3. Director, IIT BHU, Varanasi
4. Concerned – Project Proponents
5. PS to DG, NMCG
6. PS to ED (Finance)

एन.एम.सी.जी., (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत निर्बंधित सोसायटी)
प्रथम तल, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110002

NMCG, (A Registered Society under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt of India)
First Floor, Major Dhyani Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002
Ph : 011-23072900, 23072901

-83-

Scanned by CamScanner

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

Subject- Revised Monitoring Protocols for in-situ bio-remediation projects for drain treatment.

NMCG funds in-situ bio-remediation projects for drain treatment for a period of one year (1 month free demonstration + 11 months). These projects are hundred percent centrally funded and shall be monitored by Third Party Technical institutes like IITs, NITs and Institutes of repute. The Monitoring protocols were communicated vide letter dated 25/09/2018. It was observed that the cost of efficacy monitoring to project cost were high in cases where the project cost proposed by the project proponent was low or cases where the flow in the drain were small, which required modification of the monitoring protocols. A revised monitoring protocol is being issued hereunder will be effective with immediate effect and will supersede the earlier Monitoring protocols issued.

Revised Monitoring Protocols for in-situ bio-remediation projects for drain treatment

1. Water quality parameters

S. No.	Parameters	Out flow Reduction/ Values (at the-end of trial period) [#]	Out flow Reduction/ Values (beyond trial period) [*]
1	2	3	4
1.	BOD _{3,27} (Biochemical Oxygen Demand) of filtered sample	≤30 mg/l or 40% reduction in the BOD load value from the initial reading (whichever is lower).	≤30 mg/l or 70% reduction in the BOD load value from the initial reading (whichever is lower).
2.	COD (Chemical Oxygen Demand) of filtered sample	≤150mg/l or 40% reduction in the COD Load value from the initial reading (whichever is lower).	≤150mg/l or 70% reduction in the COD Load value from the initial reading (whichever is lower).
3.	TSS (Total Suspended Solids)	≤100mg/l or 40% reduction in the TSS load value from the initial reading (whichever is lower).	≤100mg/l or 70% reduction in the TSS load value from the initial reading (whichever is lower).
4.	pH	6.5 to 9.0	6.5 to 9.0

*Note 1:- The agency shall be given work order for 11 months post free trial period only in case the efficiency of treatment is fulfilled as per above standards (as per column 3).

*Note 2:- During the 11 months i.e beyond free trial period, if any of the above parameters is beyond the limits mentioned in the table, the agency shall not be liable for any payment during the period of noncompliance of the standards (as per column 4).

2. Flow & water quality measurements

- i) Flow reported in the drain exhibit considerable seasonal variations, therefore, the flows measured by an appropriate and approved scientific technique (viz V-Notch/ Weir etc to be installed by agency) shall be adopted as flows in the drain. The same shall be used for management of the project including all payments towards treatment under the project.
- ii) For the purpose of flow assessment, following seasonal period shall be considered;
 - a. Pre- monsoon summer period (April — June)
 - b. Post monsoon period (October — December)
 - c. Lean flow period (January — March).
- iii) Suitable flow measuring techniques viz., V notch, velocity area method or any other appropriate scientific technique as approved by the representative of NMCG shall be adopted at flow monitoring locations specific to each project/drain. Necessary civil works without compromising the concern of back flooding, if any, will have to be undertaken by the agency.
- Flow measurement — flow shall be measured daily by the project proponent. A proper log book for the measured flow shall be maintained by the agency and pictures of the treatment process as well as flow measurement structure shall be uploaded on Bhuvan Ganga app at least three times a day (at 10.00 AM, 1.30 PM & 5 PM). Input received through Bhuvan Ganga App shall be considered for validation purpose only. The TPI shall also take flow measurement readings while collecting the water quality samples.
- iv) Water Quality Assessment — Third Party Inspection (TPI) agency shall be assigned as per the location of the drain. The assigned TPI shall take samples as per following sampling frequency based upon flow in the drain. The sample collection and analysis charges with the prescribed frequency are also mentioned in the tables below. The charges are inclusive of sample collection as well as analysis charges based on the CPCB notified water analysis charges and are exclusive of any other charges.

S. No.	Project Stage	Sampling frequency	Total samples	Sample collection and analysis charges* (In Rs.)
1	Before Start of Demonstration/ Free Trial	5 days, two location, daily sampling, (5*2)	10	1960/- (for analysis) + 1400/- (sample collection) = 26600/- for base line determination
2	During demonstration/ Free Trial (One Month)	2 samples, two location, weekly (2*2*4 weeks)	16	1960/- (for analysis) + 1400/- (sample collection) = 42560/-

The frequency of sampling may be regulated based on the actual flow in the drain once the efficacy is established in the drain during the free trial period in following manner:-

S. No.	Project Stage	Sampling frequency	Total samples	Sample collection and analysis charges*
3.1	For 11 months of treatment once the efficacy of the demonstration is established and Flow is less than or equal to 10 MLD	One sample at outlet (only), once in fifteen days (2 fortnights *11 months)	22	1960/- (for analysis) + 960/- (sample collection) = 64240/-
3.2	For 11 months of treatment once the efficacy of the demonstration is established and Flow is between 10 & 50 MLD	One sample at outlet (only), weekly (1*48)	48	1960/- (for analysis) + 960/- (sample collection) = 1,40,160/-
3.3	For 11 months of treatment once the efficacy of the demonstration is established and Flow is between 50-150 MLD	One sample at 2 location, weekly (1*2*48 weeks)	96	1960/- (for analysis) + 1400/- (sample collection) = 2,55,360/-
3.4	For 11 months of treatment once the efficacy of the demonstration is established and Flow is above 150 MLD	1 sample, two location, twice a week (2*2*48 weeks)	192	1960/- (for analysis) + 1400/- (sample collection) = 5,10,720/-

The TPI shall collect samples in presence of technology provider or as approved by representative of NMCG.

3. Location

- Water Samples shall be collected at starting point and end point in case of two samples have to be collected and at the end point in case of only one sample is to be collected. The suggestive start and end points shall be as described in graphical representation (Annexure - 1). Also, the actual starting point and end point of the monitoring will be decided during the site visit of the monitoring committee constituted by NMCG/ SPMG.
- Flow shall be measured at end point. The agency shall carry out a regular flow monitoring. The TPI shall also take flow measurement readings while collecting the water quality samples.

4. Monitoring cost

The cost of the sample collection and analysis has been calculated and mentioned in the tables above. However, Transportation charges, Administrative charges and the Taxes as applicable shall be payable separately on actual basis. Administrative charges, if any, shall be communicated to NMCG beforehand for approval. No honorarium or any other charges will be admissible.

5. Billing of the project by project proponent

- The project proponent shall raise monthly bills to the TPI by 7th of every month. The bills are to be verified / certified by the TPI institution for correctness of flow and water quality standards and be submitted to SPMG for payment.
- To avoid any apprehension of manipulation in intervening reach between Start point and end point, TPI may, based on merits and field inputs, collect two or more number of samples at any two or more random locations in between this reach with permission/ directions of SPMG. Any abnormal observation from these samples shall be duly considered by TPI in its report to SPMG or its representative. SPMG may appropriately consider such observations while release of payment.
- Since during monsoons, natural flow is available in abundance so, the projects proponent shall not carry out any intervention during the monsoon season i.e., 1st July to 30th September. Interventions, if any, during this period, shall only be carried out only after approval of representative of NMCG.
- The trial period, usually one month, is for the agency to prove the efficacy of its proposed technology. SPMG shall not entertain any bills raised by the agency during the free demonstration period (i.e., trial period).
- Sampling Method:- Grab sampling or as approved by representative of NMCG.
- Sampling start date:- 5 days continuous sampling at minimum two locations (at least on starting point and end point) shall be carried out by the TPI prior to start of demonstration to obtain the baseline data for all seasons. This exercise shall be carried out by TPI preferably within 15 days of start of respective season.

-87-
5

- Agency shall ensure that any pollution load arising due to variation in discharge from industry (sugar or distillery or any other industry) is taken care to meet the acceptable quality parameter as per the protocol.
- Scavenging and cleaning of drain area by ensuring the garbage, floating matter, debris and vegetation shall be cleaned from the drain and be transported to the nearest collection site of respective ULBs. The cleaning of accumulated solid waste shall be carried out regularly by the agency. Also the reports of solid waste collected etc shall be maintained by agency and communicated to SPMG/ NMCG.
- The Agency shall carry out Public awareness programme to educate the local residents about causes and ill effects pollution through involvement of local educational institutes and public figures. The agency shall share the reports of such events to SPMG/ NMCG and TPI, with relevant pictures, on monthly basis.

-88-

(6)

कार्यालय परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश
प्लॉट नं० 18, सेक्टर-07, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ
Website: www.apd@smcg-up.org

पत्र संख्या:- 955/0241-F/SMCG/05

दिनांक:- 08/08/19

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम,
कानपुर।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 योजना में 1600 X 2300 मिमी व्यास ब्रिक ट्रंक सीवर की डी-सिल्टिंग एवं सीवर रीहैबिलिटेशन के संबंध में।

सन्दर्भ - मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम कानपुर पत्रांक-2532/डब्ल्यू-10/97 दिनांक 18.07.2019 महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 30.09.2019 तक शीशामऊ एवम् अन्य नालों की उत्प्रवाह को गंगा नदी में वर्षा ऋतु के दौरान बाइपास किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति देने के सम्बन्ध में है।

2- उ०प्र० जल निगम द्वारा कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 योजना में जाजमऊ एस०टी०पी० को जाने वाली 1600 X 2300 मिमी व्यास ट्रंक सीवर (Brick Barrel) की डी-सिल्टिंग/सीवर रीहैबिलिटेशन का कार्य फर्म मै० सृष्टि-योगी-सैम लेन-जेवी द्वारा कराया जा रहा है। इस काम में आपके पत्रांक-2532/डब्ल्यू-10/97 दिनांक 18.07.2019 द्वारा डी-सिल्टिंग तथा सीवर लाइन पुनरोद्धार आदि कार्यों की समयबद्धता के दृष्टिगत दिनांक 30.09.2019 तक समयावधि की मांग की गयी है तथा शीशामऊ एवम् अन्य नालों की उत्प्रवाह को गंगा नदी में वर्षा ऋतु के दौरान बाइपास किये जाने की स्वीकृति मांगी गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीशामऊ एवम् अन्य नालों की उत्प्रवाह को गंगा नदी में वर्षा ऋतु के दौरान बाइपास किये जाने की स्वीकृति दिनांक 15.09.2019 तक प्रदान की है तथा निर्देश दिये हैं कि उक्त कार्य दिनांक 15.09.2019 तक पूर्ण करा लिये जाये।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम के पत्र दिनांक 21.07.2019 द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यों के सापेक्ष विचलन की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु दिनांक 07.08.2019 को भेजा गया है। अतः डिस्ट्रिक्ट-1 योजना में 1600 X 2300 मिमी व्यास ट्रंक सीवर (Brick Barrel) की डी-सिल्टिंग एवं सीवर रीहैबिलिटेशन (Last Stretch-2.2 Km appx.) जो विचलन प्रस्ताव में है, को दिनांक 15.09.2019 तक पूर्ण करा लिया जाये।

उपरोक्तानुसार, कार्य की सप्ताहिक प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

Manoj
8/8/19.
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,

नगर विकास/परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, प्लॉट नं०-18, सेक्टर-07, गोमती नगर विस्तार योजना, तृतीय तल, लखनऊ-226010.
4. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम, कानपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम, कानपुर।

प्रमुख सचिव,

नगर विकास/परियोजना निदेशक

कार्यालय महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर

पत्र संख्या 2396 / W-18 / 184

दिनांक 10/08/2019

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सद्भावना नगर, कल्यानपुर,
कानपुर।

विषय:- मानसून के दौरान जाजमऊ एस.टी.पी. को जाने वाली ट्रंक सीवर लाईनों की डिडिस्टिंशिंग, सफाई एवं रिहैबिलिटेशन कार्य के दौरान सीसामऊ नाला एवं अन्य नालों के प्रवाह को गंगा नदी में भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जाजमऊ एस.टी.पी. को जाने वाली पुरानी ब्रिक सीवर लाईनों, जिनकी डिडिस्टिंशिंग, सफाई एवं रिहैबिलिटेशन हेतु सीसामऊ नाला एवं अन्य नालों के प्रवाह को गंगा नदी में बाईपास किये जाने की आवश्यकता है, की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया था जिसके अनुक्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास / परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ के पत्रांक 955/0241-एफ/एस.एम.सी.जी./05 दिनांक 08.08.2019 (छया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि इन नालों के प्रवाह को गंगा नदी में बाईपास किये जाने की अनुमति दिनांक 15.09.2019 तक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि उक्त कार्य दिनांक 15.09.2019 तक पूर्ण कर लिया जाय। उक्त के दृष्टिगत उक्त अवधि में जाजमऊ स्थित विद्यमान समस्त एस.टी.पी. का संचालन भी प्रभावित होगा। 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. में टैन्री उत्प्रवाह के सुचारु रूप से शोधन हेतु तनुकरण के लिये आवश्यक घरेलू सीवेज की मात्रा की उपलब्धता भी प्रभावित होगी। उपरोक्त स्थिति हेतु दि 20.07.2019 को अध्यक्ष, उ. प्र. जल निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में सम्पन्न हुई बैठक में भी प्रकरण सज्ञान में लाया गया था।

कृपया उक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रामशरण)

महाप्रबन्धक

पृष्ठंकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव / परियोजना निदेशक, राज्य गंगा स्वच्छ मिशन, फ्लाट नं.-18, सेक्टर-07, गोमती नगर विस्तार योजना, तृतीय तल, लखनऊ।
- 2- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर।
- 4- सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 6- मुख्य अभियंता (गंगा), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियंता (कानपुर क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम, कानपुर।
- 8- परियोजना प्रबन्धक (1/111) गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ.प्र.जल निगम, कानपुर।

02/08/2019
महाप्रबन्धक

-90-

Monthwise Average Parameter for River Ganga

Month	Location	Average Parameter of River Ganga		
		DO	BOD	TC
March	U/S	9.35	3.07	4125
	D/S	8.7	3.85	30000
April	U/S	8.04	4.4	5640
	D/S	6.84	5.08	27000
May	U/S	7.52	4.2	6125
	D/S	6.67	4.2	39750
June	U/S	7.37	3.8	5825
	D/S	6.07	4.35	27750
July	U/S	6.06	3.02	4060
	D/S	5.28	4.92	38600
August	U/S	6.40	2.45	3975
	D/S	5.25	4.35	48500
September	U/S	6.32	2.1	4374
	D/S	5.5	2.95	49250

Data compiled by UPPCB portal and average calculated.

Spandip, (S) Swatantra
SE 19/10/19

(Ex. Shashank Pandey) (Ex. Swatantra Singh)

Analysis Report of River Ganga in March-2019

Date	Name of sampling point	Colour	pH	DO	BOD	TC
05/03/2019	Bitthoor	15	8.71	10.8	2.5	3400
05/03/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.62	10.3	2.7	4300
05/03/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.48	9.8	3.2	28000
12/03/2019	Bitthoor	15	8.68	10.9	2.6	3300
12/03/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.60	10.0	2.8	4300
12/03/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.51	9.5	3.6	31000
19/03/2019	Bitthoor	15	8.59	10.9	2.9	3200
19/03/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.43	8.5	3.4	4000
19/03/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.31	7.8	4.2	33000
26/03/2019	Bitthoor	15	8.82	10.1	3.0	3400
26/03/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.67	8.6	3.4	3900
26/03/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.50	7.7	4.4	28000

-92-

Signature

Analysis Report of River Ganga in April-2019

Date	Name of sampling point	Colour	pH	DO	BOD	TC
02/04/2019	Bithoor	20	8.96	8.3	3.2	3400
02/04/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	20	8.72	7.7	3.6	4300
02/04/2019	D/S Kanpur Sekhpur	20	8.53	6.5	4.4	28000
09/04/2019	Bithoor	15	8.51	9.3	4.5	1700
09/04/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.60	10.0	4.0	2200
09/04/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.32	7.6	4.8	14000
16/04/2019	Bithoor	15	8.71	7.1	4.8	3800
16/04/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.83	8.1	5.2	8400
16/04/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.26	6.7	5.4	28000
23/04/2019	Bithoor	20	8.71	7.6	5.0	4300
23/04/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	20	8.64	7.2	4.2	6300
23/04/2019	D/S Kanpur Sekhpur	20	8.33	6.9	5.2	31000
30/04/2019	Bithoor	15	8.43	6.8	4.6	4100
30/04/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.55	7.2	5.0	7000
30/04/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.22	6.5	5.6	34000

-93-

Analysis Report of River Ganga in May-2019

Date	Name of sampling point	Colour	pH	DO	BOD	TC
07/05/2019	Bitthoor	15	8.76	7.8	4.4	3800
07/05/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.80	7.5	4.2	5400
07/05/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.65	7.2	5.6	54000
14/05/2019	Bitthoor	15	8.96	8.9	4.0	4100
14/05/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.95	9.3	4.6	6300
14/05/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.41	6.6	4.2	43000
21/05/2019	Bitthoor	15	8.86	7.7	3.8	3800
21/05/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.98	6.7	4.8	7000
21/05/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.49	6.6	3.4	34000
28/05/2019	Bitthoor	15	8.24	7.5	3.5	4300
28/05/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.28	6.6	3.2	5800
28/05/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	7.99	6.3	3.6	28000

-94-

Analysis Report of River Ganga in June-2019

Date	Name of sampling point	Colour	pH	DO	BOD	TC
04/06/2019	Bithoor	15	8.19	6.9	3.7	4700
04/06/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	7.93	6.3	3.4	5800
04/06/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	7.71	5.2	4.4	35000
11/06/2019	Bithoor	15	8.32	7.5	4.4	5800
11/06/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.37	8.7	4.6	6300
11/06/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	7.75	6.3	4.2	28000
18/06/2019	Bithoor	15	8.15	7.5	3.2	4300
18/06/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.32	7.8	3.8	5800
18/06/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	8.02	6.9	4.0	22000
25/06/2019	Bithoor	15	8.26	7.3	3.0	4100
25/06/2019	U/S Kanpur Ganga barrage	15	8.18	6.7	3.4	5400
25/06/2019	D/S Kanpur Sekhpur	15	7.95	5.9	4.8	26000

-95-

BOD CALCULATIONS FOR GANGA RIVER AT D/S (JUNE TO OCT 2019)

June-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-06-2019	2799	
02-06-2019	2575	
03-06-2019	2152	
04-06-2019	1961	
05-06-2019	1981	
06-06-2019	1992	
07-06-2019	1988	
08-06-2019	3510	
09-06-2019	5033	
10-06-2019	5029	
11-06-2019	3074	
12-06-2019	3311	
13-06-2019	3227	
14-06-2019	5118	
15-06-2019	2970	
16-06-2019	6910	
17-06-2019	7087	
18-06-2019	7826	
19-06-2019	7826	
20-06-2019	7876	
21-06-2019	7874	
22-06-2019	1778	
23-06-2019	8640	
24-06-2019	7778	
25-06-2019	7000	
26-06-2019	6222	
27-06-2019	5056	
28-06-2019	3500	
29-06-2019	3500	
30-06-2019	3532	
Total	151622	
Avg. Discharge (Cumec)	5054.07	

CUMEC 143.13
 MLD 1266.79
 TOTAL BOD GENERATION 24490.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 2.01

*Note: Above discharge calculations are based on discharge of Ganga Barrage at D/S by Barrage Construction Division-II, U.P. Irrigation Deptt. Kanpur

July-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-07-2019	3500	
02-07-2019	8704	
03-07-2019	7000	
04-07-2019	5532	
05-07-2019	5376	
06-07-2019	6200	
07-07-2019	5445	
08-07-2019	6399	
09-07-2019	8302	
10-07-2019	7293	
11-07-2019	12480	
12-07-2019	8920	
13-07-2019	10450	
14-07-2019	14335	
15-07-2019	20095	
16-07-2019	23009	
17-07-2019	29350	
18-07-2019	43812	
19-07-2019	49641	
20-07-2019	50720	
21-07-2019	50720	
22-07-2019	50720	
23-07-2019	44996	
24-07-2019	31918	
25-07-2019	23498	
26-07-2019	23468	
27-07-2019	23468	
28-07-2019	14652	
29-07-2019	14548	
30-07-2019	12507	
Total	186443.22	
Avg. Discharge (Cumec)	578.02	

Avg. Discharge (Cumec) 578.02
 Avg. Discharge (MLD) 48620.77
 TOTAL BOD GENERATION 24890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 0.55

Aug-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-08-2019	20412	
02-08-2019	20466	
03-08-2019	30888	
04-08-2019	26570	
05-08-2019	23641	
06-08-2019	23779	
07-08-2019	26705	
08-08-2019	40672	
09-08-2019	56525	
10-08-2019	64149	
11-08-2019	68060	
12-08-2019	86694	
13-08-2019	105459	
14-08-2019	127683	
15-08-2019	123972	
16-08-2019	135861	
17-08-2019	140634	
18-08-2019	140634	
19-08-2019	143952	
20-08-2019	168667	
21-08-2019	201438	
22-08-2019	244813	
23-08-2019	255465	
24-08-2019	279446	
25-08-2019	226767	
26-08-2019	238840	
27-08-2019	278335	
28-08-2019	205608	
29-08-2019	233252	
30-08-2019	180117	
31-08-2019	483539	
Total	130169.00	
Avg. Discharge (Cumec)	3486.46	

Avg. Discharge (MLD) 318510.38
 TOTAL BOD GENERATION 24990.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 0.08

Sept-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-09-2019	134746	
02-09-2019	104031	
03-09-2019	68039	
04-09-2019	56531	
05-09-2019	36666	
06-09-2019	49213	
07-09-2019	57330	
08-09-2019	61363	
09-09-2019	63075	
10-09-2019	68047	
11-09-2019	87683	
12-09-2019	125971	
13-09-2019	125559	
14-09-2019	160797	
15-09-2019	152028	
16-09-2019	79659	
17-09-2019	67205	
18-09-2019	66672	
19-09-2019	54596	
20-09-2019	53999	
21-09-2019	49779	
22-09-2019	39037	
23-09-2019	33787	
24-09-2019	42262	
25-09-2019	34350	
26-09-2019	32300	
27-09-2019	35054	
28-09-2019	40226	
29-09-2019	42130	
30-09-2019	42456	
Total	2695091	
Avg. Discharge (Cumec)	69656.37	

Avg. Discharge (MLD) 170881.93
 TOTAL BOD GENERATION 24990.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 0.15

Oct-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-10-2019	40233	
02-10-2019	33865	
03-10-2019	36578	
04-10-2019	41578	
05-10-2019	61339	
06-10-2019	33890	
07-10-2019	61891	
08-10-2019	61148	
09-10-2019	60340	
10-10-2019	51724	
11-10-2019	42779	
12-10-2019	37142	
13-10-2019	42001	
14-10-2019	41895	
15-10-2019	34192	
16-10-2019		
17-10-2019		
18-10-2019		
19-10-2019		
20-10-2019		
21-10-2019		
22-10-2019		
23-10-2019		
24-10-2019		
25-10-2019		
26-10-2019		
27-10-2019		
28-10-2019		
29-10-2019		
30-10-2019		
31-10-2019		
Total	688657	
Avg. Discharge (Cumec)	45912.47	

Avg. Discharge (MLD) 112242.16
 TOTAL BOD GENERATION 24990.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 0.22

BOD CALCULATIONS FOR GANGA RIVER AT D/S (JAN TO MAY 2019)

June-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-01-2019	7061	
02-01-2019	7061	
03-01-2019	7011	
04-01-2019	7015	
05-01-2019	7079	
06-01-2019	7161	
07-01-2019	7382	
08-01-2019	7054	
09-01-2019	7054	
10-01-2019	7014	
11-01-2019	8042	
12-01-2019	7011	
13-01-2019	7011	
14-01-2019	7014	
15-01-2019	7014	
16-01-2019	7038	
17-01-2019	7006	
18-01-2019	7023	
19-01-2019	7017	
20-01-2019	7002	
21-01-2019	7022	
22-01-2019	7041	
23-01-2019	7005	
24-01-2019	7294	
25-01-2019	7419	
26-01-2019	7405	
27-01-2019	7439	
28-01-2019	8018	
29-01-2019	8012	
30-01-2019	8011	
31-01-2019	8082	
Total	224822	
Avg. Discharge (Cumec)	7252.32	

CUMEC 205.39
 MLD 1745.70
 TOTAL BOD GENERATION 24890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 1.40

Feb-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-02-2019	8501	
02-02-2019	8559	
03-02-2019	8042	
04-02-2019	8042	
05-02-2019	8074	
06-02-2019	8042	
07-02-2019	8042	
08-02-2019	7058	
09-02-2019	7089	
10-02-2019	7066	
11-02-2019	7089	
12-02-2019	7085	
13-02-2019	7085	
14-02-2019	7085	
15-02-2019	7085	
16-02-2019	7070	
17-02-2019	7085	
18-02-2019	7085	
19-02-2019	7085	
20-02-2019	7085	
21-02-2019	7085	
22-02-2019	8520	
23-02-2019	8511	
24-02-2019	7547	
25-02-2019	7547	
26-02-2019	7547	
27-02-2019	7547	
28-02-2019	7547	
Total	21145	
Avg. Discharge (Cumec)	7541.25	

Avg. Discharge (Cumec) 213.37
 Avg. Discharge (MLD) 1452.68
 TOTAL BOD GENERATION 24890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 1.35

Mar-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-03-2019	7547	
02-03-2019	7043	
03-03-2019	7043	
04-03-2019	7043	
05-03-2019	7043	
06-03-2019	7043	
07-03-2019	7043	
08-03-2019	7011	
09-03-2019	7011	
10-03-2019	7011	
11-03-2019	7011	
12-03-2019	7011	
13-03-2019	6598	
14-03-2019	7011	
15-03-2019	7011	
16-03-2019	7073	
17-03-2019	8660	
18-03-2019	6598	
19-03-2019	7011	
20-03-2019	6598	
21-03-2019	6186	
22-03-2019	5361	
23-03-2019	5774	
24-03-2019	5774	
25-03-2019	5774	
26-03-2019	5561	
27-03-2019	4949	
28-03-2019	6028	
29-03-2019	6035	
30-03-2019	6001	
31-03-2019	6048	
Total	206711	
Avg. Discharge (Cumec)	6668.10	

Avg. Discharge (Cumec) 188.64
 Avg. Discharge (MLD) 1416.16
 TOTAL BOD GENERATION 34890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 1.53

Apr-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-04-2019	6048	
02-04-2019	6001	
03-04-2019	6035	
04-04-2019	6035	
05-04-2019	6035	
06-04-2019	6321	
07-04-2019	6117	
08-04-2019	6325	
09-04-2019	6325	
10-04-2019	6325	
11-04-2019	7748	
12-04-2019	7748	
13-04-2019	5979	
14-04-2019	8972	
15-04-2019	8972	
16-04-2019	7748	
17-04-2019	8156	
18-04-2019	8156	
19-04-2019	8564	
20-04-2019	8564	
21-04-2019	9379	
22-04-2019	9379	
23-04-2019	8972	
24-04-2019	9379	
25-04-2019	9379	
26-04-2019	9787	
27-04-2019	11977	
28-04-2019	11347	
29-04-2019	9888	
30-04-2019	9898	
Total	344989	
Avg. Discharge (Cumec)	8166.30	

Avg. Discharge (Cumec) 231.27
 Avg. Discharge (MLD) 19922.11
 TOTAL BOD GENERATION 24890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 1.25

May-19		Discharge (Cumec)
Date	Discharge (Cumec)	
01-05-2019	9898	
02-05-2019	8202	
03-05-2019	7835	
04-05-2019	9953	
05-05-2019	9485	
06-05-2019	8660	
07-05-2019	8660	
08-05-2019	6635	
09-05-2019	7836	
10-05-2019	7836	
11-05-2019	6598	
12-05-2019	6598	
13-05-2019	6598	
14-05-2019	5231	
15-05-2019	4910	
16-05-2019	4921	
17-05-2019	4949	
18-05-2019	4949	
19-05-2019	5155	
20-05-2019	5361	
21-05-2019	5138	
22-05-2019	5486	
23-05-2019	5486	
24-05-2019	6186	
25-05-2019	4486	
26-05-2019	4101	
27-05-2019	4073	
28-05-2019	3670	
29-05-2019	3650	
30-05-2019	3218	
31-05-2019	2506	
Total	157551	
Avg. Discharge (Cumec)	6982.03	

Avg. Discharge (Cumec) 171.24
 Avg. Discharge (MLD) 14003.82
 TOTAL BOD GENERATION 24890.12 (kg)
 INCREASE IN BOD DUE TO DIRECT DISCHARGE OF DRAINS (mg/l) 1.68

*Note: Above discharge calculations are based on discharge of Ganga Barrage at D/S by Barrage Construction Division-II, U.P. Irrigation Deptt. Kanpur



ENVIS Centre on Hygiene, Sanitation, Sewage Treatment Systems and Technology

Hosted by International Institute of Health and Hygiene, New Delhi.
Sponsored by Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt of India.



You are here: Home National status of waste, water generation & treatment

Last Updated: 08/05/2019

- GSDP
- Certificate Course On Waste Management
 - Certificate Course On Low Cost Sanitary Napkin Production
- Geospatial Data
- NES-GRISS
- Sanitation
- Water
 - Swachh Bharat, Abhiyan
 - Tabular Data
 - Graphical Data
 - SBM Newsleter
 - E-Learning Portal
 - Sulabh Swachh Bharat
 - Swachh Bharat Abhiyan Apps
 - Facts & Figures
 - Sanitation
 - Hygiene
 - Water
 - Hygiene
 - Personal And Domestic Hygiene
 - Infographic
 - Graphical Data
 - Water Hygiene
 - Community Hygiene
 - Food Hygiene
 - Menstrual Hygiene
 - Infographic
 - Sanitation
 - Sanitation And Environment
 - Graphical Data
 - Infographic
 - Water And Sanitation
 - Graphical Data
 - Infographic
 - Diseases And Interventions
 - Toilet Technologies
 - Pathogens In Human Excreta
 - Sulabh Technology
 - Eco-Pit System
 - Different Designs Of Sulabh Shauchasala
 - Sulabh Pit/ Pit/ Pit/ Complexes
 - Biogas Technology
 - Effluent Treatment System


National status of waste water generation & treatment

Order of the National Green Tribunal regarding effluent discharge standards for STPs, 30/04/2019


Order of the National Green Tribunal in the matter of Milin Shankar Daspande Vs Union of India & Others dated 30/04/2019 regarding effluent discharge standards for STPs as laid down vide Notification dated 13.10.2017. The Tribunal through its order dated 21.12.2018 had held that the impugned notification would lead to deterioration of the water quality and ordered for the constitution of an Expert Committee which would give its report after examining the best available technologies and best practices. The Tribunal also directed stay of operation of the Notification till further orders.

Source : Order Of The National Green Tribunal Regarding Effluent Discharge Standards For Stps, 30/04/2019 Updated on 8th May, 2019

Sewage generation and treatment



Status of sewage generation and treatment



State-wise percentage generation of sewage

Source : CPCB BULLETIN VOL-1, JULY 2016, Updated on December 6th, 2016

State-wise details of sewage generation in urban areas and treatment capacity available

- Duckweed Based Waste Water Treatment
- Solid Waste Management
- Environmental & Economic Benefits
- Sustainable Sanitation
- Rural Sanitation
- Tabular Data
- Urban Sanitation
- Graphical & Tabular Data
- School Sanitation And Hygiene Education
- Graphical Data
- Tabular Data
- Latrine Facility
- Graphical Data
- Toilet Status
- Ecological Sanitation
- Low-Cost Sanitation
- Disaster Sanitation
- Infographic
- Open Defecation
- Graphical Data
- Tabular Data
- Public Toilet
- Tabular Data
- City Sanitation Plan
- Waterless Urinals
- Biogas
- Waste Management
- Graphical Data
- Tabular Data
- Disability & Sanitation
- Manual Scavenging
- Graphical Data
- Tabular Data
- Bio-Toilet
- Sewage Treatment Systems And Technology
- Disposal Of Waste Water In Ganga Basin
- National Status Of Waste Water Generation & Treatment
- Status Of Sewage Treatment Plant In Delhi
- Graphical Data
- STP Report
- Tabular Data
- Water Quality Status Of Drain
- Water Quality Status Of River Yamuna
- Water Reclamation And Reuse
- National Status Of Drainage System
- Tabular Data
- Schemes & Policies
- Innovation R&D Technologies

Sl.No.	State/Union Territory	Sewage Generation in urban areas (mld)	Installed Treatment Capacity (mld)
1.	Andaman & Nicobar Islands	22	
2.	Andhra Pradesh	2871	247.37
3.	Arunachal Pradesh	50	
4.	Assam	703	0.21
5.	Bihar	1879	124.55
6.	Chandigarh	164	314.5
7.	Chhattisgarh	951	
8.	Dadra & NagarHavelli	26	
9.	Daman & Diu	29	
10.	Goa	145	74.56
11.	Gujarat	4119	3062.92
12.	Haryana	1413	852.7
13.	Himachal Pradesh	110	114.72
14.	Jammu & Kashmir	547	264.74
15.	Jharkhand	1270	117.24
16.	Karnataka	3777	1304.16
17.	Kerala	2552	152.97
18.	Lakshadweep	8	
19.	Madhya Pradesh	3214	482.23
20.	Maharashtra	8143	5150.36
21.	Manipur	132	
22.	Meghalaya	95	1
23.	Mizoram	90	10
24.	Nagaland	92	
25.	Delhi	4155	2693.7
26.	Odisha	1121	305.54
27.	Puducherry	136	68.5
28.	Punjab	1664	1246.41
29.	Rajasthan	2736	663.92
30.	Sikkim	24	31.88
31.	Tamil Nadu	5589	3799.72
32.	Telangana	1671	685.8
33.	Tripura	154	0.05
34.	Uttar Pradesh	7124	2646.84
35.	Uttarakhand	495	152.9
36.	West Bengal	4667	416.0
	Total	61948	23277

Source : GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2441, Updated on 28th May, 2018

Sector specific industrial wastewater generation

Type of Industry	Total Units	Wastewater Generation (MLD)
Chemical	27	87.8
Distillery	25	37.6
Food, Dairy & Beverage	22	8.4
Pulp & Paper	87	201.4
Sugar	67	96.9
Textile, Resin & Dyestuff	83	11.4
Tanning	242	22.1
Others	41	28.8
Total	764	581

Source : GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REVIVIFICATION LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1630, Updated on 28th May, 2018

State/UT wise list of Common Effluent Treatment Plants

State/UT	Number of CETPs
Andhra Pradesh	11
Gujarat	30
Haryana	14
Himachal Pradesh	1
Jammu and Kashmir	1
Jharkhand	1
Karnataka	9
Kerala	5
Madhya Pradesh	1
Maharashtra	27

Parliament Lok Sabha & Rajya Sabha (Question/Answer)

Success Stories

Corporate Social Responsibility (CSR)

Graphical Data

Tabular Data

Case Study

Global Coverage

Graphical Data

Tabular Data

Infographic

Information And Communications Technology (ICT)

Do You Know

IEC Materials Campaign

Publications

Waste Management

3DG'S

Gender & Sanitation

Water Management

Disaster Sanitation

Swachh Bharat

Health And Hygiene

Sanitation

Sewage

Water & Sanitation

Videos

Hygiene

Sewage

Sanitation

Clean India Campaign

Climate Change

Important Days

Quiz Questions

Kids Gallery

Poster

WASTE CHARACTERISTICS

AND PUBLIC AWARENESS

ABOUT SOLID WASTE

Hygiene

Sanitation

Painting Competition

National Symbols Of India

Knowledge Bank

Related Link For Kids

NCT of Delhi	13
Punjab	4
Rajasthan	14
Tamil Nadu	49
Uttar Pradesh	8
Uttarakhand	4
West Bengal	1
TOTAL	193

Source : CPCB 2016, Updated on December 8th, 2016

State/UT-wise list of Sewage Treatment Plants

State/UT	Total No. of STPs
Andhra Pradesh	12
Arunachal Pradesh	-
Andaman & Nicobar Islands	8
Assam	5
Bihar	6
Chandigarh	5
Chhattisgarh	38
Delhi	85
Daman Diu and Dadra & Nagar Haveli	-
Goa	7
Gujarat	62
Haryana	41
Himachal Pradesh	68
Jammu & Kashmir	25
Jharkhand	24
Karnataka	57
Kerala	10
Lakshadweep	-
Madhya Pradesh	78
Madhya Pradesh	17
Manipur	-
Meghalaya	1
Mizoram	-
Nagaland	-
Odisha	47
Puducherry	6
Punjab	88
Rajasthan	64
Sikkim	11
Tamil Nadu	73
Telangana	18
Tripura	2
Uttar Pradesh	73
Uttarakhand	24
West Bengal	26
Total	920

Source : CPCB 2016, Updated on December 8th, 2016

Status on Sewage Generation in Metropolitan Cities, Class-I Cities and Class-II Towns:

Discharge of untreated sewage in water courses both surface and ground waters is the most important water polluting source in India. Out of about 36000 million liter per day of sewage generated treatment capacity exists for only about 12000 million liter per day. Thus, there is a large gap between generation and treatment of wastewater in India. Even the treatment capacity existing is also not effectively utilized due to operation and maintenance problem. Operation and maintenance of existing plants and sewage pumping stations is not satisfactory, as nearly 39% plants are not conforming to the general standards prescribed under the Environmental (Protection) Rules for discharge into streams as per the CPCB's survey report. In a number of cities, the existing treatment capacity remains underutilized while a lot of sewage is discharged without treatment in the same city. Auxiliary power back-up facility is required at all the intermediate (IPS) & main pumping stations (MPS) of all the STPs.

Status of Municipal Wastewater Generation and treatment capacity of Metropolitan Cities:

There are 35 metropolitan cities (more than 10 Lac Population), 15,644 Millions Liter Per Day (MLD) of sewage is generated from these metropolitan cities. The treatment capacity exists for 8040 MLD i.e. 51% of treatment capacity is created.

Among the Metropolitan cities, Delhi has the maximum treatment capacity that is 2330 MLD (30% of the total treatment capacity of metropolitan cities)

Next to Delhi, Mumbai has the capacity of 2130 MLD, which is 26% of total capacity in metropolitan cities.

Delhi and Mumbai therefore in combination have 55% of treatment capacity of the metropolitan cities.

Some cities such as Hyderabad, Jaipur, Chennai and Ludhiana and Ahmedabad treatment capacity meet the volume of generation.

Cities like Delhi, Dhanbad have more than 50% capacity, rest of the cities have the capacity less than 50%.

STPS located in different state/UTs of India

Sl. No.	State/UT	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)
1	Andhra Pradesh	247.27	12	54.27	9			91	3					
2	Assam													
3	Chhattisgarh													
4	Goa	0.21	1	0.21	1									
5	Gujarat	134.55	6	69.55	3	25	1							
6	Haryana	314.5	4	314.5	4									
7	Himachal Pradesh													
8	Delhi	2693.7	35	5871.2	34	22.5	1							
9	Chandigarh													
10	Goa	74.58	7	34.5	4			40.00	3					
11	Madhya Pradesh	3082.93	31	2121.64	31	499	4	359.5	3	93.78	7			
12	Rajasthan	832.7	61	805	38	2.7	2	45	1					
13	Uttar Pradesh	314.72	24	79.51	24	15.21	20							
14	West Bengal	264.74	19	145.74	15	2	1	117	3					
15	Karnataka	117.54	15	117.24	15									
16	Kerala	120.18	37	112.05	21			192.11	13					
17	Tamil Nadu	152.97	10	112.87	6	2	1	37.1	3					
18	Andhra Pradesh	5162.35	75	4833.9	80	362.5	10	131.96	6					
19	Chhattisgarh	462.29	17	475.48	14	6.96	3							
20	Goa													
21	Madhya Pradesh													
22	Uttar Pradesh													
23	West Bengal													

Sl. No.	State/UT	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)	No. of STPs	Capacity of STPs (MLD)
24	Goa	185.54	13	158.04	7			207.5	6					
25	Chhattisgarh	58.5	4	17.5	3			31	3					
26	Madhya Pradesh	1348.48	39	1021.87	38	15.3	4	176.7	11	32.1	13			
27	Rajasthan	863.52	63	384.5	16			149.3	11	332.12	16			
28	Uttar Pradesh	41.88	11	0	1	5	1	18.38	9					
29	Madhya Pradesh	1799.72	73	1140.38	33	5.17	1	421.06	28	132.64	11			
30	Uttar Pradesh	603.6	18	434.9	17			53	1					
31	Tamil Nadu	0.05	1	0.045	1									
32	Uttar Pradesh	2646.84	73	2171.35	62	62.59	7	170	3	15	1			
33	Uttar Pradesh	162.9	24	90.75	10			19.18	12	25	2			
34	West Bengal	418.4	24	285.35	18	181.34	12							
35	West Bengal	26277.36	815	12883.3	522	1437.16	79	2528.86	145	628.64	70			

Note: * indicates information not received from concerned SPCB/PCC

Source: spcb annual report 2014-15. Updated on 25th November, 2018

Percentage of Households with the drainage system and distributed of household by type of disposal of household waste water during 2012

Table 3.3: Percentage of households with the drainage system and distribution of households by type of disposal of household waste water during 2012

Drainage system of the household	Percentage distribution of households with the drainage system	Type of disposal of household waste water					Not known	All (incl. n.r.)	
		Safe disposal with treatment	Disposed of without treatment in			Disposed of with or without treatment to other places			
(1)	(2)	(3)	Open low land areas	Ponds	Nearby rivers	Drainage system	(8)	(10)	
Rural									
Underground	8.5	0.0	25.0	12.3	2.5	30.7	8.8	0.7	100.0
Covered pucca	5.3	0.0	33.3	5.9	2.0	43.3	13.9	0.1	100.0
Open pucca	10.2	0.0	28.6	17.3	2.0	43.6	4.7	0.7	100.0
Open katcha	10.4	0.0	64.0	7.1	1.9	15.0	11.7	0.3	100.0
No drainage	49.9	0.1	75.9	3.1	0.5	0.6	19.5	0.4	100.0
All (incl. n.r.)	100.0	0.0	58.7	7.3	1.4	17.4	14.4	0.4	100.0
Urban									
Underground	45.2	0.1	2.7	0.6	0.7	92.4	2.7	0.9	100.0
Covered pucca	14.9	0.0	10.9	1.4	1.1	78.1	7.8	0.7	100.0
Open pucca	23.4	0.0	11.3	2.5	1.2	76.3	4.2	2.3	100.0
Open katcha	3.0	0.0	45.6	5.2	0.8	37.4	10.5	0.5	100.0
No drainage	12.5	0.0	63.8	3.4	0.8	3.8	25.6	0.5	100.0
All (incl. n.r.)	100.0	0.0	15.9	1.7	0.9	73.3	7.0	1.1	100.0

n.r.: Not reported

Source: Swachhita Status Report 2010, updated on 25th November, 2010

STPS LOCATED IN DIFFERENT STATES/UTS OF INDIA

S. No.	State/UT	Percentage distribution of villages by method of disposal of drainage water					Total
		No arrangement	With arrangement			any other source	
(1)	(2)	(3)	Pond	Nala	River	(7)	(8)
1	Andhra Pradesh	32.9	17.1	30.3	8.6	11.2	100
2	Assam	59.5	1.2	26.8	8.3	4.2	100
3	Behar	61.2	2.9	13.9	5.3	16.7	100
4	Chhattisgarh	73.0	2.0	12.0	3.0	10.0	100
5	Gujarat	62.7	11.9	11.9	10.2	3.3	100
6	Haryana	4.1	73.5	14.3	2.0	6.1	100
7	Himachal Pradesh	37.0	2.8	49.1	1.9	8.3	100
8	Jammu & Kashmir	44.0	3.2	40.0	8.8	4.0	100
9	Jharkhand	86.9	3.1	6.2	1.5	2.3	100
10	Karnataka	18.9	16.1	42.0	6.3	16.8	100
11	Kerala	71.5	0.6	17.1	9.5	1.3	100
12	Madhya Pradesh	50.5	7.8	18.2	4.2	19.3	100
13	Maharashtra	18.3	7.6	46.8	19.4	8.9	100
14	Manipur	15.2	0.0	53.2	15.2	16.4	100
15	Mizhalaya	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	100
16	Mizoram	63.6	0.0	27.3	4.5	4.6	100
17	Nagaland	9.6	0.0	48.1	42.3	0.0	100
18	Odisha	82.8	1.0	10.1	0.5	5.6	100
19	Punjab	3.0	63.3	30.7	0.0	4.0	100
20	Rajasthan	57.3	10.4	16.7	3.6	12.0	100
21	Sikkim	48.5	0.0	27.3	21.2	3.0	100
22	Yaradi Nadi	46.3	33.4	18.3	7.3	4.6	100
23	Telangana	12.8	25.5	41.5	4.3	16.0	100
24	Uttar Pradesh	8.6	57.9	15.2	4.7	13.6	100
25	Uttarakhand	60.3	2.9	25.0	2.9	8.8	100
26	West Bengal	70.3	5.6	13.7	3.6	6.8	100
	All India	44.4	15.8	34.0	6.8	9.0	100

Note: Results of the States/UTs with less than 20 STPs have not been presented separately. However, the same are included in the all India results.

Source: Swachhita Status Report 2010, updated on 25th November, 2010

Status of Sewage Generation and Treatment Capacity of Urban Population of India

Sl. No.	State	Sewage Generation	Installed Treatment
---------	-------	-------------------	---------------------

		of Urban Population in 2015 (MLD)	Capacity (As on March, 2015) (MLD)
1.	Andaman & Nicobar Islands	22	0
2.	Andhra Pradesh	2871	247.27
3.	Arunachal Pradesh	50	
4.	Assam	703	0.21
5.	Bihar	1873	124.55
6.	Chandigarh	164	314.5
7.	Chhattisgarh	951	0
8.	Dadra & Nagar Haveli	26	
9.	Daman & Diu	29	
10.	Goa	145	74.58
11.	Gujarat	4119	3082.92
12.	Haryana	1413	852.7
13.	Himachal Pradesh	110	114.72
14.	Jammu & Kashmir	547	264.74
15.	Jharkhand	1270	117.24
16.	Karnataka	3777	1304.16
17.	Kerala	2552	152.97
18.	Lakshadweep	8	
19.	Madhya Pradesh	3214	482.23
20.	Maharashtra	8143	5180.36
21.	Manipur	132	
22.	Meghalaya	95	1
23.	Mizoram	90	10
24.	Nagaland	92	
25.	Delhi	4155	2693.7
26.	Odisha	1121	385.54
27.	Pondichery	136	68.5
28.	Punjab	1684	1245.45
29.	Rajasthan	2736	865.92
30.	Sikkim	24	31.88
31.	Tamil Nadu	5599	1799.72
32.	Telangana	1871	885.6
33.	Tripura	154	0.05
34.	Uttar Pradesh	7124	2846.84
35.	Uttarakhand	495	152.9
36.	West Bengal	4667	416.9
	Total	61948	23277

Source: Untreated Sewage Flow into Yamuna Doek

Status of Sewage Generation and Treatment Capacity of Class-I Cities

STATUS OF SEWAGE GENERATION AND TREATMENT CAPACITY

S.no	States/UT	City/Town	Sewage Generation In (MLD)	Treatn MLD)
1	Uttarakhand	Haridwar	39.8	18
2		Kanpur	339.3	171.1
3		Varanasi	187.1	144
4		Allahabad	208.0	89.0
5	Uttar Pradesh	Farrukhabad cum Fatehgarh	30.5	8.3
6		Mirzapur Vinhyachet	27.5	14
7		Unnao	23.9	19.4
8		Ballia	18	
	Sub total		873.9	460.8

Sheet : Sheet 6

Source: Pollution Assessment: River Ganga-Central Pollution Control Board, 2013

Sewage Generation of Class-II Towns

SEWAGE GENERATION OF CLASS-II TOWN : Sheet1

SEWAGE GENERATION OF CLASS-II TOWN				
S.no	States/UTs	City/Town	Total Sewage (in MLD)	Capacity STP (in MLD)
1	Uttarakhand	Rishikesh	10.7	603
2		Roorkee	11	
Sub total			21.7	6.3
3		Najibabad	7.6	
4		Bijnor	7.6	8.1
5		Mughalsarai	16	
6	Uttar Pradesh	Ghaziour	10.7	
7		Kanpaur	7.0	
8		Deoband	7.6	
9		Gangrahat	6.8	
Sub Total			63.5	16.1

Sheet1

Source: Pollution Assessment: River Ganga-Central Pollution Control Board, 2013

Status of sewage generation and treatment capacity in metropolitan cities

S. No.	Name of the city	Sewage generation (in MLD)	Sewage Treatment Capacity (in MLD)	Percent of treatment capacity
1	Hyderabad	426.21	595	100
2	Vishakhapatnam	134.99	-	-
3	Vijayawada	128.39	-	-
4	Patna	278.14	105	37
5	Delhi	3900	2390	61
6	Ahmedabad	472	489	95
7	Burai	432	202	46
8	Rajkot	108.8	44.5	40
9	Vadodara	180	205	100
10	Bangalore	771.75	-	-
11	Indore	204	78	38
12	Bhopal	334.75	22	6
13	Jabalpur	149.34	-	-
14	Mumbai	2871	2130	80
15	Pune	474	305	64
16	Nagpur	380	100	26
17	Nasik	227.84	107.8	47
18	Ludhiana	235.2	311	100
19	Amritsar	102	-	-
20	Japur	461.71	54	11
21	Chennai	158	264	100
22	Kanpur	417.35	171	41
23	Lucknow	393.81	42	11
24	Agra	280.38	88	31
25	Kolkata	705.85	172	24
26	Fardabad	164	85	39
27	Jamshedpur	199.43	-	-
28	Asinod	147	-	-
29	Coimbalore	120	-	-
30	Machurai	97.98	-	-
31	Moarut	177.05	-	-
32	Varanasi	230.17	102	44
33	Alkhabad	176	60	34
34	Kochi	168.4	-	-
35	Dharwad	192	-	-
	Total	15644	8040	51

Source: Status of sewage in India (CUP/5/1/2005-06)- Central Pollution Control Board


State-wise sewage generation of Class-I Cities and Class-II Towns

S. No.	State/Union Territory	Sewage generation in class-I cities (in MLD)	Sewage generation in class-II towns (in MLD)	Total (in MLD)
1	Andaman & Nicobar	12.00	-	12.0064

2	Andhra Pradesh	1760.63	217.50	1978.1996
3	Assam	380.14	6.46	386.6
4	Bihar	1009.7	107.42	1117.12
5	Chandigarh	429.76	-	55.2936
6	Chhattisgarh	350.47	40.32	391.29
7	Delhi	3800	-	3800
8	Goa	9.70	13.89	23.62
9	Gujarat	1680.92	227.55	1908.47
10	Haryana	626.69	43.52	670.212
11	Himachal Pradesh	28.94	-	28.94
12	Jammu & Kashmir	213.93	27.55	27.55
13	Jharkhand	830.47	79.21	908.68
14	Karnataka	1750.20	233.37	2023.778
15	Kerala	675.17	231.32	906.49
16	Madhya Pradesh	1248.72	130.9	1379.626
17	Maharashtra	9986.29	213.73	10200.02
18	Manipur	26.74	-	26.74
19	Meghalaya	20.84	11.25	32.09
20	Mizoram	5.712	-	5.712
21	Nagaland	13.62	1.38	14.984
22	Orissa	660.73	78.42	739.15
23	Pondicherry	56.46	7.964	64.444
24	Punjab	1528.26	157.40	1685.664
25	Rajasthan	1362.37	117.79	1480.16
26	Tamilnadu	1077.21	184.67	1261.88
27	Tripura	24	-	24
28	Uttar Pradesh	3500.01	345.70	3845.71
29	Uttarakhand	176.97	0.07	177.04
30	West Bengal	2345.21	180.42	2525.63
	Total	35558.12	2898.70	38254.82


Source: http://www.epcb.nic.in/fupload/NewsItems/NovItem_153_Paraword.pdf

Water supply, wastewater generation, treatment in class I cities (MLD)



Source: http://www.epcb.nic.in/fupload/NewsItems/NovItem_153_Paraword.pdf

Water supply, wastewater generation, treatment in class II cities (MLD)



Source: http://www.epcb.nic.in/fupload/NewsItems/NovItem_153_Paraword.pdf

India.gov.in

delhi.gov.in

epcb.nic.in

YouTube

epcb.nic.in

epcb.nic.in

epcb.nic.in

Privacy Policy | Copyright Policy | Terms & Conditions | Hyperlinking Policy | Help | Disclaimer

Site designed, developed and hosted by National Informatics Centre

Contents of this website is published and managed by CNVIS Centre on Hygiene, Sanitation, Sewage Treatment Systems and Technology
Copyright (c) 2014 by Ministry of Environment & Forests, Govt. of India. All rights reserved.

प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 154/क्रय/कान्फ/सामान्य/(2121-0408)/2019

दिनांक 03/07/2019

कार्यालय ज्ञाप

मे० हाइड्रोएयर टेक्नॉलॉजि० लि०, C/o प्रिया सी.ई.टी.पी (इण्डिया) लि०, आफिस नं०-106, कांकोड प्रेमाइसेस कोपरेटिव सोसाइटी लि०, प्लॉट नं०-66-ए-सेक्टर-11, सी०बी०डी० बेलापुर, नवी मुंबई द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कानपुर के जाजमऊ में 43 एम.एल.डी. एस.टी.पी. में अत्यन्त घटिया निर्माण कार्य कराये जाने एवं एस.टी.पी. को अभी तक कमीशन न किये जाने के कारण मुख्य अभियन्ता(कानपुर क्षेत्र) की संस्तुति के आधार पर ठेकेदार मे० हाइड्रोएयर टेक्नॉलॉजि० लि०, C/o प्रिया सी.ई.टी.पी (इण्डिया) लि०, आफिस नं०-106, कांकोड प्रेमाइसेस कोपरेटिव सोसाइटी लि०, प्लॉट नं०-66-ए-सेक्टर-11, सी०बी०डी० बेलापुर, नवी मुंबई को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाला जाता है।


(आई०के० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(क्रय)

प०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. राज्य मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(नागर/ग्रामीण/गंगा/पी.पी.आर.बी.डी.), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम।


मुख्य अभियन्ता(क्रय)

संख्या- 337 /2019-4293/नौ-5-19-135बजट/2019

प्रेषक,

राष्ट्र कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम
जनपद-लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जूही राखी मण्डी, कानपुर क्षेत्र में सतही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम, कानपुर के पत्र संख्या-जलकल/1756/एसएम-656/2019-20, दिनांक 10.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जूही राखी मण्डी, कानपुर क्षेत्र में सतही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित लागत ₹0 46.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि रूपये 46.59 लाख (₹0 छियालिस लाख उन्सठ हजार रूपये मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/ पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लंघनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करने इत्यादि का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय तथा निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत अनुरक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति से उपयोगार्थ को भी उपलब्ध कराया जाये।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पर होगी तथा कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (10) संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाये।

- (11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।
- 3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान " के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

 (राधे कृष्ण)
 संयुक्त सचिव।

संख्या- 337 /2019-4293/नौ-5-19-135बजट/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी, कानपुर।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 8- मुख्य अभियंता (कानपुर0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 9- परियोजना प्रबंधक, गंगा प्र0नि0 इकाई (III), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 10- महाप्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण, इकाई उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 11- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 12- वित्त (ई-9) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

 (राधे कृष्ण)
 संयुक्त सचिव।



चार- जल निगम
E-mail- mdupjn@yahoo.co.in
E-mail- ceganga_upjn@yahoo.co.in

Annexure No: 10

दूरभाष- 0522- 2202780
0522- 2201331
फैक्स - 0522- 2622908

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या -

926 / 022-0601 / 2019

दिनांक- 29.10.2019

सेवा में,

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी-12, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ।


विषय - कानपुर नगर के नालों का बायो-रेमिडिएशन विधि से उपचार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम, कानपुर के पत्र संख्या 1/कैम्प-लखनऊ दिनांक 29.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 योजना में जाजमऊ एस.टी.पी. को जाने वाली ट्रंक सीवर लाइन की डि-सिल्टिंग एवं रि-हैबिलिटेशन का कार्य कराये जाने के कारण कानपुर में पूर्व में टैप किये गये नालों एवं अन्य अनटैप्ड नालों को गंगा नदी में बाईपास करने के पूर्व इन नालों का बायो-रेमिडिएशन विधि से उपचार किया जा रहा है

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(अजय रस्तोगी)
मुख्य अभियन्ता (गंगा)

पू.सं. एवम् दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

-109-

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

पत्रांक 1 / कैम्प-लखनऊ /

दिनांक 29.10.2019


विषय :- कानपुर नगर के नालों का बायो-रेमिडिएशन विधि से उपचार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 योजना में जाजमऊ एस.टी.पी. को जाने वाली ट्रंक सीवर लाइन की डि-सिल्टिंग एवं रि-हैबिलिटेशन का कार्य कराये जाने के कारण कानपुर में पूर्व में टैप किये गये नालों एवं अन्य अनटैप्ड नालों को गंगा नदी में बाईपास करने के पूर्व इन नालों का बायो-रेमिडिएशन विधि से उपचार किया जा रहा है (विवरण संलग्न है)।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(ए० के० गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०)

प्र०स० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1
मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०)

कार्यालय महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 में जाजमऊ एस0टी0पी0 को जाने वाली ट्रंक सीवर की डिसिल्टिंग / रिहैबिलिटेशन का कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण से गंगा नदी में गिरने वाले नालों का बायोरेमिडियेशन विधि से शोधन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	नाले का नाम	डिस्चार्ज (एमएलडी में)
गंगा नदी में गिरने वाले नाले		
1	नबाबगंज नाला	2.88
2	रानी घाट नाला	1.89
3	सीसामऊ नाला	60.00
4	म्योरमिल नाला	6.50
5	गुफ्फारघाट नाला	2.38
6	डबका नाला	2.56
7	शीतला बाजार नाला	5.75
8	वाजिदपुर नाला	7.66
9	गोलाघाट नाला	1.44
10	सत्ती चौरा नाला	2.00
पाण्डु नदी में गिरने वाले नाले		
1	गन्दा नाला	35.09
2	हल्वारखण्डा नाला	6.00
3	थर्मल नाला	30.00
4	आईसीआईसीआई नाला	40.00


परियोजना प्रबन्धक


महाप्रबन्धक

-111-